

विषय सूची

	पृ.सं
1. निदेशक मण्डल	3
2. ए जी एम की सूचना	4
3. अध्यक्ष का पत्र	10
4. निदेशक के रिपोर्ट	12
5. निगमित अभिशासन का रिपोर्ट	40
6. वर्ष 2015-16 के वित्तीय विवरण	49
7. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट	77
8. नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ	84

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

पंजीकृत कार्यालय
8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर
पार्क एवन्यू, कोच्ची - 682011
केरल, भारत
फोन : + 914842360686
www.Kochimetro.org

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स के. वर्गास & कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
बाजार सड़क
एरणाकुलम

सांचिविक लेखा परीक्षक
मेसर्स गोपीमोहन सतीशन & एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
एम.जी रोड, रविपुरम
कोच्चीन - 682016

आंतरिक लेखा परीक्षक
मेसर्स जेआरएस & कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
दूसरा मंजिल, द मोनार्क
पी.टी उषा रोड, कोच्ची - 682011

कंपनी सचिव
बी. अनिल कुमार

हमारा बैंक
कैनरा बैंक
स्टेट बैंक आफ इन्डिया
स्टेट बैंक आफ त्रावनकूर
इन्डियन बैंक
एच डी एफ सी बैंक लिमिटड
एक्सिस बैंक लिमिटड
आइ डीबी आई बैंक लिमिटड
फेडरल बैंक लिमिटड
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटड
एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक लिमिटड

निदेशक मण्डल

श्री. राजीव गौबा

- अध्यक्ष, के एम आर एल सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, कमरा नं. 122 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली

श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा

- ओ एच डी (यूटी) & पूर्व कार्यालयीन सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, कमरा नं. 138 सी, निर्माण भवन नई दिल्ली

श्री. जितेन्द्र त्यागी

- निदेशक (वर्कस) डी एम आर सी लिमिटड, मेट्रो भवन फयर ब्रिगेड लेन, बारहखम्बा रोड, नई दिल्ली

श्री. एल नरसिंह प्रसाद

- निदेशक (सिस्टम्स & ओपरेषन्स) चेन्नै मेट्रो रेल लिमिटड

श्री. एस.एम. विजयानंद

- मुख्य सचिव, केरल सरकार, सरकार सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम

डॉ. के.एम एब्रहाम

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, केरल सरकार, सरकार सचिवालय तिरुवनन्तपुरम

श्री. एलियास जोर्ज

- प्रबन्ध निदेशक कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, कोच्ची

श्री. एब्रहाम उम्मन

- निदेशक (वित्त) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर कोच्ची

श्री. प्रवीण गोयल

- निदेशक (सिस्टम्स) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, कोच्ची

श्री. तिरुमन अर्चुनन

- निदेशक (प्रोजेक्ट) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर कोच्ची

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, पार्क एवन्यू
कोच्ची - 682011, केरल, भारत**
फोन : +91484 2380980, फैक्स : +91484 2380686
वेबसाइट : www.Kochimetro.org
सीआइ एन : U60100KL2011SGCO29003

पाचवाँ वार्षिक बैठक की सूचना

सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारियों के 4 वाँ वार्षिक बैठक दिनांक 27 सितंबर 2016 मंगलवार दोपहर 12.30 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय रेवन्यू टॉवर, 8 वाँ मंजिल, पार्क एवन्यू के सामने, कोच्ची 682011 में संपन्न होगी जिसमें व्यापार संबंधी निम्न बातों पर विचार होगी।

सामान्य व्यापार

1. 31 मार्च 2016 तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ साथ निदेशक मण्डल के रिपोर्ट, उस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और नियंत्रणाधिकारी एवं महा लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ आदि को प्राप्त करना, स्वीकार करना और विचार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नियंत्रणाधिकारी एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक शासनपत्रित लेखाकार मेसर्स के.वर्गीस & कंपनी की पारिश्रमिक निर्धारित करना।
3. **विशिष्ट व्यापार**

कंपनी में श्री.तिरुमन अर्चुनन, निर्देशक, परियोजना (पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक) की नियुक्ति स्वीकार करके यदि योग्य है तो परिवर्तन के साथ या बिना किसी परिवर्तन के एक सामान्य प्रस्ताव की तरह निम्नलिखित नियमानुसार प्रस्ताव प्रकाशित करना :

प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 196, 2013 के सभी प्रावधानों के तहत उसकी परिसंख्या V में बनाये गए उक्त अधिनियम और कानून के आधार पर श्री. तिरुमन अर्चुनन को दिनांक 29-08-2016 से कंपनी के निदेशक, परियोजना (पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक) के पद पर पाँच वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रस्तावित किया जाता है कि श्री.बी.अनिलकुमार, कंपनी सचिव कंपनी के कुलसचिव के साथ आवश्यक सांविधिक गढ़न करने को भी अधिकारी होंगे।

निदेशक मंडक के आदेशानुसार
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड केलिए

बी. अनिल कुमार
कंपनी सचिव

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 3.09.2016

टिप्पणी :

1. विस्तृत विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसार कार्य संख्या 3 के अंतर्गत आनेवाले व्यापार के साथ मिला दिया है।
2. बैठक में उपस्थित होने व वोट देने केलिए हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने व वोट देने केलिए एक प्रतिपुरुष को नियुक्त करने का हकदार है और वह प्रति पुरुष कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है।
3. बैठक के शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिपुरुष द्वारा मोहर व हस्ताक्षर किया हुआ फार्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक प्रतिपुरुष फार्म इसके साथ संलग्न है।

उक्त फार्म प्राप्त होने के तुरंत बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार नियंत्रणाधिकारी और भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी भेज दिया जायेगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसार आवश्यक विस्तृत विवरण

कार्य संख्या :3

श्री. महेश कुमार, निदेशक, परियोजना के एम आर एल को उचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत उनके त्याग पत्र के अनुसार 31 दिसंबर 2015 से अपने कामों से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

निदेशक (परियोजना) के चयन केलिए एक उपसमिति मण्डल का आयोजन किया गया जिसमें निदेशक मण्डल के एम.डी / के एम आर एल को अध्यक्ष के रूप में और श्री.मुकुंद कुमार सिन्हा, ओ एस डी/ एम.ओ युडी को सदस्य के रूप में रख दिया। उसमें श्री.डी.एस मिश्रा, अतिरिक्त सचिव, एम ओ युडी और श्री.ए.पी.मिश्रा, पूर्व इंजिनियर / रेलवे बोर्ड के सदस्य को उपसमिति की सहायता करने केलिए बाह्य विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया।

उम्मीदवार के साथ साक्षात्कार और उनकी योग्यता एवं क्षमता निरीक्षण करने के बाद समिति ने श्री.तिरुमन अर्चुनन, मुख्य प्रबन्ध निदेशक, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को के एम आर एल के निदेशक, परियोजना के रूप में सिफारिश किया गया।

उपर्युक्त कार्य केलिए कार्यसंख्या 3. ने शेयरधारियों की अनुमति केलिए सिफारिश की

सूचना की कार्यसंख्या 3 के तहत श्री.तिरुमन अर्चुनन के अलावा और कोई निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मि और इससे संबंधित कोई भी रिश्तेदार ने इस पर रुचि नहीं दिखाया।

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, पार्क एवन्यू
कोच्ची - 682011, केरल, भारत
फोन : +91484 2380980, फैक्स : +91484 2380686
वेबसाइट : www.Kochimetro.org
सीआइ एन : U60100KL2011SGCO29003

उपस्थिति की पर्ची

कृपया उपस्थिति पर्ची को पूरा भरके बैठक संपन्न होनेवाले स्थान में प्रवेश कवाड पर सौंप दीजिए

नाम	
पता	
लेखा बही का नं	
शेयरों की संख्या	

प्रमाणित किया जाता है कि मैं कंपनी में पंजीकृत शेरधारी / कंपनी के पंजीकृत शेरधारी की तरफ से प्रतिपुरुष हूँ। मैं दिनांक 27.09.2016 दोपहर 12.30 को कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, पार्क एवन्यू, कोच्ची - 682 011, केरल, भारत में संपन्न पाचवाँ वार्षिक बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा / रही हूँ।

सदस्य के हस्ताक्षर / प्रतिपुरुष

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, पार्क एवन्यू
कोच्ची - 682011, केरल, भारत
फोन : +91484 2380980, फैक्स : +91484 2380686
वेबसाइट : www.Kochimetro.org
सीआइ एन : U60100KL2011SGCO29003

फार्म नं. एम जी टी - 11

प्रतिपुरुष फार्म

(कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी के प्रबन्धन और प्रशासन) नियम 19 (3) के अनुसार)

सदस्य का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

लेखा बही की संख्या / कार्यार्थी आई डी :

डी.पी. आइ डी :

मैं / हम सदस्य उपर्युक्त कंपनी के शेयर, यहाँ नियुक्त

1. नाम :

पता :

ईमेल आइ डी :

या उसकी असफलता

हस्ताक्षर

2. नाम :

पता :

ईमेल आइ डी :

या उसकी असफलता

हस्ताक्षर :

3. नाम :

पता :

ईमेल आइ डी :

हस्ताक्षर :

मैं/हमारा प्रतिपुरुष हाजिर होकर मेरे/हमारे लिए मेरी/ हमारी अनुपस्थिति में 27.09.2016 दोपहर 12.30 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न होनेवाले पाँचवाँ वार्षिक बैठक में वोट देंगे और निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए आवश्यकतानुसार शपथ ले लेंगे।

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

नं	प्रस्ताव
1.	31 मार्च 2016 तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ साथ निदेशक मंडल के रिपोर्ट, उस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ आदि को प्राप्त करना, स्वीकार करना और विचार करना।
2.	वित्तीय वर्ष 2015-16 केलिए नियंत्रणाधिकारी एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक शासन पत्रित लेखाकार मेसर्स के वर्गीस & कंपनी की पारिश्रमिक निर्धारित करना।
3.	श्री. तिरुमन अर्चुनन का कंपनी के निदेशक, परियोजना (पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक) के रूप में नियुक्ति।

हस्ताक्षर किया दिन 20

शेयरधारियों के हस्ताक्षर



प्रतिपुरुष के हस्ताक्षर

रेवन्यू
टिकट

टिप्पणी :

- प्रतिपुरुष को कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है।
- जब फार्म पूर्ण रूप से पूरा करके बैठक के शुरू होने से 48 घंटे पहले ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करें तो तभी प्रतिपुरुष के फार्म चालू हो जायेगा।

मार्ग नक्शा





अध्यक्ष का पत्र

आपकी कंपनी के पाचवाँ वार्षिक बैठक में आप सभी को स्वागत करते हुए मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ। कंपनी को लक्ष्य तक पहुँचाने में मेरे समकक्ष भूमिका आपने भी निभाया इसकेलिए मैं आपको तहे दिल से अभिनंदन करना अपना फर्ज समझता हूँ।

आपकी कंपनी के 2015 - 16 वित्तीय वर्ष के निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वर्षिक लेखा और उसके साथ साथ भारत के महालेखाकार और नियंत्रणाधिकारी की टिप्पणियों के साथ संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट आदि आपके बीच में वितरित किया गया है।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आपकी कंपनी वर्ष 2015-16 के दौरान कोच्ची निवासियों केलिए सुविधाजनक, सुगम्य और सीवनरहित परिवहन प्रदान करने के साथ अपने लक्ष्य तक पहुँचने में आगे बढ़ा है।

वैसे आपको पता है कि परियोजना के प्रथम फेस आलुवा से पेट्रा तक दो रीचों में अधिकृत होगे जिसका पहला रीच आलुवा - पालारिवट्टम है जो 11 स्टेशन के साथ कुल लम्बाई 13.4 कि.मी तक की गलियारा है जिसका 2016-17 के दौरान उद्घाटन करने की संभावना है। परियोजना के दूसरा रीच 11 स्टेशनों के साथ कुल लम्बाई 12.1 कि.मी का गलियारा है यह पालारिवट्टम- पेट्रा गलियारा है जो बहुत जल्दी शुरू करने की संभावना है। के एम आर एल मण्डल ने भी जे एल एन स्टेशन से मेट्रो गलियारा को 11 स्टेशनों के साथ कुल लम्बाई 11.2 कि.मी केरल के आइ.टी हब्ब काक्कनाड तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जो कोच्ची मेट्रो सिस्टम के फेस II होगी। विस्तृत गलियारे व्यावसायिक रूप से और केरल के आइटी हब्ब काक्कनाड को भी मेट्रो सिस्टम की पहुँच को सुनिश्चित करेंगे यह मेट्रो के पूरे यातायात और आपकी कंपनी के कमाई की संभावना को विकसित करेंगे।

आपको याद होगा कि कोच्ची मेट्रो का परीक्षण दौड़ मुट्टम के मेट्रो डिपो से 21 जनवरी 2016 को केरल के मुख्य मंत्री द्वारा झंडा दिखाकर रवाना कर दिया गया जिसके पीछे 21 मार्च 2016 को मुख्य दौड़ भी हुआ। परियोजना के पहले रीच के उद्घाटन समय पर कराने के लिए मेट्रो सिस्टम के शेष काम तीव्र गति से चल रही है।

इस वर्ष के दौरान परियोजना के लिए भू अधिग्रहण और सिविल एवं सिस्टम के काम जिसके अंतर्गत पुल, स्टेशन के मकान, ट्राक्शन, ट्रैक, सिग्नल, दूरसंचार और रॉलिंग स्टॉक आदि आते हैं, तीव्रगति से प्रगति पथ पर चल रहे हैं। आपको यह भी याद होगा कि कोच्ची मेट्रो स्टेशन की संरचना एक अतुलनीय कलापरक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक पहचान है जिसकी पूरी व्यवस्था केरल के सांस्कृति विरासत एवं प्राकृतिक अक्षय निधि की अवधारणा के अनुसार किया जा रहा है, विशेषकर पश्चिम घाटे।

कंपनी कोच्ची शहर केलिए एक आधुनिक द्रव्यमान त्वरित संचरण को प्रदान करने के अलावा लोगों के पूरे परिवहन की समस्याओं के हल करनेवाले की भूमिका भी अदा कर रही है। कंपनी सभी सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने के काम में है जिसके अंतर्गत मेट्रो, बस, फेरी, गैर मोटर चालित परिवहन आदि (एकल निर्बाध प्रणाली व्यवस्था) एकल्डी नेटवर्क, एकल टिकट और एकल समय सारणी के साथ एकल निर्बाध प्रणाली व्यवस्था में ले आते हैं। कंपनी ने एक संयुक्त महानगरीय परिवहन प्राधिकारी बिल का प्रारूप भी तैयार कर दिया है जो राज्य सरकार की अनुमति के लिए रखा है।

मुझे यह समझकर खुशी हुई कि कोच्ची के आसपास के तटीय क्षेत्रों एवं द्वीपों के बीच के संपर्क को बढ़ाने, उन क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों की जीवन शैली एवं आना-जाना आदि में प्रगति लाने और इस दृष्टि से वे भी कोच्ची शहर में उपलब्ध आर्थिक-व्यावसायिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें इसी उद्देश्य से क्रेडिटानस्टालट फेर विडेरोफ्बो (के एफ डब्ल्यू) नामक जर्मन कंपनी की सहायता से आपकी कंपनी ने कोच्ची जल मेट्रो परियोजना को क्रियान्वित एवं चालू करने के लिए केरल सरकार के साथ समझौता में प्रवेश किया है।

आपकी कंपनी ने अंतिम मील के जुड़ाव में प्रगति लाने के लिए मेट्रो के प्रभावित क्षेत्रों में गैर मोटर चालित परिवहन सुविधाएँ बढ़ाने का कार्य भी शुरू किया है। आपकी कंपनी शहर के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए गली दृश्य, चलने के रास्ते, साइकिल रास्ते और महत्वपूर्ण सड़क जंकशनों के विकास करने के कार्य में लगी हुई हैं। ये सभी कार्यों का प्रारंभिक काम फ्रेंच फंडिंग कंपनी फ्रान्केस डी डेवेलेपमेंट (ए एफ डी) एजेंसी का तकनीकी एवं आर्थिक मदद से आगे ले जा रहा है।

आपकी कंपनी ने बाहरी श्रोत केरल सरकार के महिला स्वयं सहायक ग्रूप जिसे ‘कुडुम्बश्री’ कहा जाता है, इसके द्वारा स्टेशनों में जैसे सफाई, गृह संचालन और भीड़ नियंत्रण आदि कराके कोच्ची मेट्रो के चाल चलन में एक महत्वपूर्ण गरीब विरुद्ध तत्व बुनने की योजना भी तैयार किया है। इस प्रकार के कार्य प्रारंभ करने से मेट्रो सिस्टम के माध्यम से कोच्ची शहर के गरीब परिवारों को अच्छी नौकरी हासिल करके अपने जीवन को सुखमय बनाने की सुविधा प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।

मैं आपकी कंपनी द्वारा ‘कोच्ची - ऐप’ के निर्माण के लिए उठाए गए कोशिशों की भी प्रशंसा करता हूँ जो कोच्ची के परिवर्तन एवं अन्य सेवाओं के लिए बनाये गए एक शहर ऐप है, वह भारत के कई अन्य शहरों में प्रयुक्त ‘मोबिलिटि ऐप’ के समान ही है। यह ऐप एक बहु प्रायोगिक डिजिटल व्यवस्था प्रदान करता है जिससे यात्रियाँ अपने यात्रा के दौरान मूल्य निष्ट सेवाएँ हासिल कर सकते हैं। यह ऐप देश के प्रथम विशिष्ट प्रयास होगा और यह आपकी कंपनी को गैर-परिचालित श्रोतों से राजस्व मॉडल में जोड़ेंगे।

मैं इस अवसर पर कंपनी के पूर्व अध्यक्ष श्री.मधुसूदन प्रसाद का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने कंपनी के अपने जब त्वरित संचरण व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने में कंपनी को उचित मार्ग निर्देश दिया था। मैं केरल और भारत सरकार के विभिन्न विभागों, निदेशक मण्डल एवं विभिन्न शेयरधारियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने के एम आर एल परियोजना को अपना सतत सहयोग दिया।

संक्षेप में मैं कोच्ची शहर के नागरिकों एवं केरल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कोच्ची शहर के सड़कों के क्रियान्वयन वे वक्त आये कई प्रकार की असुविधाओं के बावजूद भी हमेशा समर्थन एवं सहयोग दिया। यह उनका प्रोत्साहन, समर्थन और इच्छा के कारण है जिसने परियोजना कार्यान्वयन के वक्त सामने आयी असुविधाओं के बावजूद भी आपकी कंपनी को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम बना दिया।

मैं के एम आर एल के सभी कर्मचारियों की तहे दिल से प्रशंसा करना चाहता हूँ, जिन्होंने कंपनी को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में गहरी निष्ठा दिखाई।

मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि के एम आर एल के कर्मचारियों के कठिन मेहनत के साथ आपकी कंपनी चुनौतीपूर्ण कार्य के बराबर से भी ज्यादा खुद के लिए निर्धारित हो जायेंगे।

सधन्यवाद

(हस्ताक्षर)
राजीव गौबा
अध्यक्ष

निदेशक के रिपोर्ट

प्यारे सदस्यों,

आपकी कंपनी 31 मार्च 2016 तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ पाचवाँ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी महसूस कर रही है।

परियोजना के संबंध में

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना स्वाभाविक रूप से 22 स्टेशन के साथ कुल लंबाई 25.612 कि.मी. दिखाई पड़ता है। जिसको पूरा करने में 5181.79 करोड़ रुपए का अन्दाज़ा है। के एम आर एल के निदेशक मण्डल ने मेट्रो की लम्बाई पेट्रा से एस.एन जंक्शन तक 2 कि.मी बढ़ाने का निश्चय किया है जिसके लिए फेस I ए में 359 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आयेगा। आगे की चर्चा में यात्रियों को ले जाने की क्षमता और परियोजना की आर्थिक सफलता को बढ़ाने हेतु निदेशक मण्डल ने परियोजना के फेस II को भी अनुमति दी गई जो जवहरलाल नेहरू स्टेडियम जंक्शन स्टेशन से काक्कनाड से होकर इन्फोपार्क तक है। फेस II के कुल लम्बाई स्टेशनों के साथ 11.2 कि.मी है। यह इन्फोपार्क, स्मार्ट सिटी, विशिष्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र काक्कनाड और कई राज्य/ केंद्र सरकारी कार्यालयों को जोड़कर चलती है। इसके निर्माण केलिए 2017.46 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च आयेगा। मेट्रो नेटवर्क कोच्ची निवासियों केलिए विशेषकर केरल के प्राइम आइ टी हब्ब काक्कनाड के साथ संबंध को बढ़ावा देने में और सुरक्षित, सुविधाजनक और सुखमय सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। परियोजना अनुमति के विभिन्न शर्तों के तहत आपकी कंपनी ने परिवहन की विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने और कोच्ची शहर केलिए एकीकृत महानगरीय परिवहन अधिकारों (यु.एम.टी.ए) को विकसित करने का निश्चय किया है। इसे ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने मेट्रो रेल के निर्माण के साथ विभिन्न परियोजनाओं के रूप में कई कार्यों की शुरुआत की।

तथ्य की दृष्टि से कोच्ची शहर झील को भी अपने में सम्मिलित करता है, आपकी कंपनी ने जल परिवहन को भी समाकलित करने की धारणा बनाया है। जिसके मुख्य धरती और 10 द्वीप के साथ 38 घाट हैं जो यात्रियों को नौके से जोड़ते हैं। इस परियोजना की 16 क्षेत्र (routes) के साथ कुल लम्बाई 76 कि.मी है। प्रस्तुत परियोजना ने द्वीप सड़क के 100 कि.मी. के विकास को भी सम्मिलित किया है। कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के मण्डल ने 747 करोड़ रुपए प्रतिष्ठापन पर परियोजना को अनुमति दी है जिसमें से 579 करोड़ के एफ डब्ल्यू से ऋण के रूप में अपनाया, रु.66 करोड़ व्यक्तिगत प्रतिष्ठापन और बाकी रकम रु.102 करोड़ केरल सरकार ने दे दिया। केरल एवं केंद्र सरकार ने परियोजना को अनुमति दी है, और ऋण समझौता एवं परियोजना समझौता दिनांक 17-06-2016 और 18-06-2016 के क्रमानुसार किया गया। आपकी कंपनी परियोजना की वृद्धि करने केलिए जल्दी ही एक सामान्य परामर्शदाता की नियुक्ति करेगी।

आपकी कंपनी एक मुक्त पाश टिकट प्रणाली को लागू करती है जो शहर के सार्वजनिक को कई दिशाओं में जोड़ेगी और यह ग्राहकों को जाने के लिए खरीदे गए टिकट में परिवर्तन करने और साथ ही गैर पार गमन की भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान करेगी। आपकी कंपनी कोच्ची शहर के लिए एक ऐप (एप्लिकेशन) भी विकसित करने की योजना बनायी है जो विकसित दुनिया के कुछ मोबाइलिटी ऐप (app) की तरह होगी। यह परिवहन की व्यवस्था को एक डिजिटल वातावरण प्रदान करेगा जहाँ पर यात्रियाँ उनके यात्रा के दौरान अनुकूलित मूल्य को सेवा में जोड़ सकते हैं।

आपकी कंपनी ने गैरमोटर चालित परिवहन में सुविधा देने लायक परिवहन की मास्टर परियोजना तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता को भी नियुक्त किया है इसे इस रिपोर्ट में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में प्रगति लाने और कुल मिलाकर यात्रियों के लिए अच्छा सा अनुभव प्रदान करने की वस्तु के साथ अलग से स्पष्ट किया है। एन एम टी परामर्श दाता के उपदेश को मुख्य रूप से स्वीकार करते हुए यह आलुवा से पेट्रा तक के मेट्रो के गलियारे में लागू करेगा। आपकी कंपनी ने आलुवा, इडप्पल्ली और वैटिला जंक्शन को ‘मल्टिमोडल’ परिवहन हब्स के रूप में विकसित करने के लिए चुना है ये जंक्शन भारी परिवहन का आकर्षण केंद्र बनेगा।

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी लागू किया है :-

- * करीब 30 सड़कें दो साल मरम्मत गारंटी के साथ श्रेष्ठ स्तरीयता के साथ पुनःनिर्मित करेगा।
- * हरा भरा कोच्ची के अनुसार पूरे कोच्ची में 3500 से भी ज्यादा छोटे छोटे पौधे को लगायेंगे।
- * शहर के कई जगहों में आधुनिक सड़क संकेत चिन्हों को स्थापित करेगा।
- * ‘खुश गली’ कार्यक्रम को शहगिरी कहा जाता है - यह 15 से भी ज्यादा भारतीय शहरों में रोज़ चलता है।


उक्त सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी पूरे परिवहन की सुविधा प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे और यह कोच्ची शहर को मेट्रो नाव, बस, मोटरगाड़ी के अलावा जितनी भी परिवहन की सुविधाएँ हो उसे समाकलित करके पूरे शहर में सभी सार्वजनिक परिवहन, सिंगल टिकट, सिंगल नेटवर्क और समय तालिका आने के साथ सिंगल परिवहन सीबनहीन लाभ प्राप्त करने की मदद भी करते हैं।

परियोजना स्थिति

परियोजना के प्रथम फेस कई चरणों में साधिक किया है। प्रथम चरण-रीच-1, यह कुल लम्बाई 13.4 कि.मी के साथ आलुवा-पालारिवट्टम गलियारे को मिला लेते हैं जिसमें 11 स्टेशन भी हैं। इसका उद्घाटन वर्ष 2016-17 के दौरान करने का इन्तज़ार है। दूसरा चरण रीच-2 लम्बाई 12.1 कि.मी के साथ पालारिवट्टम-पेट्टा गलियारे को मिलाते हैं जिसमें 11 स्टेशन हैं।


इस वर्ष के रिपोर्ट कोच्ची मेट्रो परियोजना केलिए बहुत ही निर्णायक है। परियोजना के सिविल काम को जल्दी कराके समय सीमा के अन्दर परियोजना को समाप्त करना बहुत ही आशाजनक है। 31.03.2016 तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के दौरान सिविल और सिस्टम, करार के अंतर्गत आनेवाले लम्बी मेहराबों से बना पुलें, स्टेशन के मकान, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन ट्रैक, सिग्नल, दूरसंचार आदि अच्छी तरह से विकसित किया गया। परामर्शदाता ने के एम आर एल के स्वतंत्र योग्यता और सुरक्षा, परिमाण और सुरक्षा और उसके साथ परियोजना के विभिन्न कार्यक्षेत्रों का निरीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष सिविल वर्क के कामों में प्रगति दिखाई पड़ा। आपके निदेशक यह सूचित करने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि 31.05.2016 तक परियोजना के फेस - 1 के 71% सिविल कार्य संपूर्ण हो गया है।

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के फेस - 1 से संबंधित विभिन्न पहुँच ने 31.05.2016 तक जो प्रगति हासिल की है वह निम्नप्रकार है:-




रीच - 1 के काम प्रगति पथ पर है और इसके मेहराबोंवाले पुल के निर्माणकार्य के 98% 31-05-2016 तक समाप्त हो गया है। ट्रैक लिंकिंग के काम तीसरे रेल लगाने का काम तीव्रगति से चल रहे हैं। स्टेशन के आकार निर्माण का काम भी करीब समाप्त हो गया है इसके अलावा प्लाटफॉर्म स्तर और छत के आकार का निर्माण कार्य भी अच्छे ढंग से प्रगति पथ पर है। रीच - 1 के महत्वपूर्ण तत्वों के विकास 31-05-2016 तक निम्न प्रकार है:-

(क) रीच - 1 के लम्बी मेहराबोंवाले पुल का निर्माण



(ख) रीच - 1 के स्टेशन निर्माण का कार्य



आपके निदेशक यह सूचित करने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि पूरे मेट्रो सिस्टम को केरल के प्राकृतिक संपदा और उसके पूर्वी घाट के विषय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिसके साथ 6 स्टेशन को वैराक्तिक विषय प्रमुखता भी दी गई है जो निम्न है :-

- * आलुवा : पूर्वी घाट
- * कुसाट : मारिटाइम इतिहास
- * इडाप्पल्ली : केरल के मसाला
- * चण्डम्पुषा : केरल के सांस्कृतिक एवं कलापरक संपदा
- * जे एल एन स्टेडियम : खेलकूद
- * एम. जी रोड : एरणाकुलम शहर के स्थानीय इतिहास

सिग्नल & सूचना प्रसारण के सभी महत्वपूर्ण मशीन, पवर उप स्टेशन, अन्य इलेक्ट्रिक काम, लाइटिंग, लिफ्ट, एस्कलेटर और फायर सुरक्षा सिस्टम आदि काम चलनेवाले स्थान में प्राप्त हुआ है और उसको लगाने का काम प्रगति पथ पर है।

रोलिंग स्टॉक का निर्माण आंध्र प्रदेश के श्रीसिटी में हो रहा है। कोच्ची मेट्रो के प्रथम ट्रेन जनवरी 2016 को प्राप्त हुआ और उसका परीक्षण मुट्टम डिपो में किया गया।

आपकी कंपनी ने 23.09.2016 को एक मार्गशिला को हासिल किया उस दिन केरल के मुख्यमंत्री द्वारा डिपो में रेल के परीक्षण दौड़ का झण्डा फहराया। प्रथम रेल के मुख्य लेन परीक्षण भी उसी दिन संपन्न हुआ था।

आपकी कंपनी ने पूरी उपक्रमात्मक कार्य पच्चालम रेल ऑवर ब्रिड्ज (आर ओ बी) का निर्माण पूरा कर दिया और मुख्य मंत्री द्वारा 11.01.2016 को उसे यात्रियों के लिए खुलकर दे दिया। अन्य उपक्रमात्मक कार्य जैसे बानरजी रोड, एम.जी रोड वैट्रिला-पेट्टा रोड आदि को विस्तृत करना, इडाप्पल्ली फ्लाई ऑवर का निर्माण आदि प्रगति पथ पर है।

रीच - 2 के सिविल काम शीघ्र ही करना है तो डी एम आर सी के परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मौजूदा करार को निम्नलिखित रूपों में पुनःगठित करना है :-

- * के सी - 4 पैकेज 3.60 कि.मी लम्बी मेहराबों वाले पुल और जे एल एन स्टेडियम और महाराज कॉलेज स्टेशन के बीच 4 स्टेशन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।
- * के सी - 5 पैकेज 1.159 कि.मी लम्बी मेहराबोंवाले पुल और वैट्रिला जंक्शन और कुन्नरा पार्क के बीच एक स्टेशन के ट्रॉक क्रोसिंग में संतुलित कैन्डीलिवर के निर्माण में ध्यान देता है।

- * के सी - 5 ए पैकेज 0.330 कि.मी एरणाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन के ट्राक क्रोसिंग में संतुलित कैन्डीलिवर के निर्माण में ध्यान देता है।
- * के.सी- 5 बी & के सी - 5 सी पैकेज 2.718 कि.मी लम्बी मेहराबोंवाले पुल & मनोरमा जंक्शन और वैटिटला जंक्शन के बीच दो स्टेशनों के निर्माण पर ध्यान देता है।
- * सड़क के विस्तार बढ़ाने के काम के साथ साथ महाराजास कालेज जंक्शन और एरणाकुलम जंक्शन के बीच एक स्टेशन के साथ (1.15 कि.मी) और कुब्रा पार्क और पेट्टा जंक्शन के साथ दो स्टेशन के साथ फैलाव के निर्माण केलिए मुक्त निविदा को भी आमंत्रित किया है।

300 मीटर लम्बाई के मेट्रो पुल के साथ चार लेन पुल के निर्माण करने केलिए डी एम आर सी द्वारा एक अलग निविदा बुलाने का उद्देश्य है जो चम्पक्करा नहर को पार करने केलिए है।

केरल सरकार ने आप की कंपनी के फेस- II परियोजना को भी अनुमति दी है और अब यह भारत सरकार की अनुमति के लिए रखा गया है। प्रारंभिक काम केलिए केरल सरकार की तरफ से प्रशासनिक अनुमति तो मिल चुका है और इसके सर्वेक्षण मार्किंग और भूमि अधिग्रहण के प्रारंभिक कार्य तो शुरू हो गए हैं। फेस -II परियोजना सभी अनुमति प्राप्त करने के बाद चार साल के अन्दर समाप्त करने की प्रतीक्षा में है।

प्रक्रिया मरम्मत की प्रारंभिक तैयारियाँ पूरे ज़ोर पर चल रहा है। इस के लिए विभिन्न वर्ग के सामान्य कर्मचारियों का चयन किया है। प्रक्रिया मरम्मत के कर्मचारी की नियुक्ति उनके प्रशिक्षण कालावधि और स्टेशन प्रक्रिया के तिथि के अनुसार तय होगा। अब तक 96 स्टेशन नियंत्रक & रेल ओपरेटर्स और 57 मरम्मत कर्मचारी अपना कार्य भार संभालकर बैंगलूर मेट्रो रेल कोरपोरेशन लिमिटड के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आपकी कंपनी वादा करते हैं कि वाणिज्यिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले योग्य प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त होगा। प्रक्रिया & मरम्मत की संक्षिप्त पुस्तिका तैयार कर चुके हैं और अभी पुनः परीक्षण में हैं :

आपकी कंपनी सामाजिक & आर्थिक पक्ष पर भी विश्वास करती है इसी दृष्टि से महिलाओं सब से बड़े ज्यादा लाभ पर ध्यान न देनेवाले संस्था कुटुम्बश्री का ग्रहव्यवस्था और टिकट बेचने केलिए प्रक्रिया & मरम्मत के भाग के रूप में स्वीकार किया है। इन सब के अलावा आपकी कंपनी स्टेशन में स्त्री-पुरुष एवं दुर्बल व्यक्तियों को सौहार्दपूर्ण ढंग से अच्छी सुविधा प्रदान करने केलिए कई कदम उठाए हैं।

रोलिंग स्टॉक और सिस्टम करार

अ. रोलिंग स्टॉक

रेल के कलात्मक कोच के निर्माण केलिए तकनीक की दृष्टि से विकसित नये उप व्यवस्था को लिया है जो ऊर्जा स्वीकार करने योग्य है, 25 रेल के करार अन्तर्राष्ट्रीय समर्थ नीलाम प्रक्रिया के द्वारा मेसर्स आलसम परिवहन को दिया है। कोच्ची मेट्रो के हर एक ट्रेन में 975 यात्रियों को बैठने की क्षमता के साथ तीन कोच हैं जिसका सी बी टी सी सिग्नल के साथ अधिकतम गति 80 के एम पी एच है। 2014 के दौरान राज्य के यात्रियों केलिए सबसे नूतन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए रोलिंग स्टॉक के नक्शा तैयार हो चुका है। दिनांक 2.01.2016 को शहरी विकास के आदरणीय यूनियन मंत्री, गृह & शहरी दरिद्र निर्माजन, और संसद मामलों ने कोच्ची मेट्रो के प्रथम ट्रेन जिनका निर्माण आंध्रप्रदेश के श्रीसिटी में अलस्टम प्लान्ट में हो रहा था, झांडा फहराकर उद्घाटन किया जिसे दिनांक 10.01.2016 को मुट्टम डिपो में ले आया।

आ) सिग्नलिंग & दूरसंचार

फेस 1 - के सिग्नलिंग रेल नियंत्रक और दूरसंचार का काम मेसर्स अलस्टम ट्रान्स्पोर्ट इन्डिया लिमिटड लेड कंप्सोरिटियम को दिया। पूरे फेस का प्रारंभिक नक्शा और रीच - 1 के विस्तृत नक्शा तैयार हो चुका है। सभी मुख्य वस्तुएं और सिग्नलिंग दूर संचार के सभी उपकरण प्राप्त हो चुके हैं। उसे लगाने का कार्यक्रम और पुल का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है।

सिग्नलिंग & ट्रेन नियंत्रण सिस्टम के लिए मेसर्स ब्यूरियो बेरिटास इटालिया एस पी ए को स्वतंत्र सुरक्षा निरीक्षक (आई एस ए) के रूप में नियुक्त किया है। सिग्नलिंग, ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित निर्णायक सांविधिक अनुमति प्राप्त हो चके हैं।

* कैटीव मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सर्विस (सी एम आर टी एस) के प्रावधान के लिए लाइसेन्स समझौता।

* दूरसंचार विभाग के द्वारा वयरलेस टेलिग्राफ को प्रकाश में ले आने का लाइसेन्स।

* रेडियो तीव्रता निर्धारण (एस ए सी एफ ए) पर वर्तमान उपदेशक समिति की अनुमति।

* सिग्नलिंग एवं ट्रेन नियंत्रण व्यवस्था में परीक्षण उद्घाटन करते वक्त कुछ टिप्पणियों को लगाते हुए करने के लिए रेलवे बोर्ड की अनुमति।

श्रेणी - 1 (आई पी - 1) के मूल ढाँच भी प्राप्त हो चुका है। धने फाइबर, रास्ते के अधिकार, स्थान और टावर जैसे संपत्ति विकसित एवं बनाये रखने केलिए आई पी - 1 प्रबंधक के विचारों को भी स्वीकार करती है और कंपनी लाइसेन्सधारक दूरसंचार सेवा प्रबन्धकों को ऋण किराया बिक्रि के आधार पर रहने की सुविधा भी देंगे।

इ) कर्षण, बिजली पूर्ती और इलेक्ट्रिकल & मेकानिकल

फेस - 1 बिजली पूर्ती, कर्षण और तीसरा रेल का काम मेसर्स आलस्टम परिवहन एस ए & मेसर्स आलस्टम इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया। विस्तृत नक्शा जाँच लगभग समाप्त हो गया है और लगभग सभी उपकरण काम चलनेवाले स्थान पर पहुँचा दिया। मुट्टम डिपो में दिनांक 1.1.2016 और 9.1.2016 में सहायक उपस्टेशन और कर्षण उपस्टेशन का उद्घाटन किया गया। मुख्य लाइन में तीसरे रेल के करीब 8.00 कि.मी & परीक्षण ट्रॉक में तीसरा रेल को लगा दिया और उद्घाटन भी किया। सिविल का काम समाप्त तक पहुँचा है और पूरे उपकरण लगाने के काम में 110/33 के बी पवर ट्रान्स्फोर्मर को छोड़कर बाकी सब खतम हो चुका है। तैकूडम आर एस एस के पैलिंग के काम का आरंभ मार्च 2016 में हुआ था। केरल राज्य बिजली नियम नियंत्रक कमीशन (के एस इ आर सी) ने कोच्ची मेट्रो को बिजली प्रदान करने की तारीफ रेलवे कर्षण के समान करने की अनुमति दी है।

इलेक्ट्रिकल & मेकानिकल सिस्टम के काम मेसर्स जाक्सन प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। विस्तृत नक्शा सम्पूर्ण हो गया और लगभग सभी मुख्य उपकरण काम करनेवाले स्थान पर पहुँचा दिया है। मुट्टम डिपो में इसे लगाने का काम और स्टेशन का काम प्रगति पथ पर चल रहे हैं। मुट्टम डिपो में होनेवाले डी जी प्रक्रिया केलिए पर्यावरण नियंत्रक बोर्ड से राय ली है। फायर इन्स्पेक्टरेट से जो चर्चा चल रही है, संतोषजनक है और मेट्रो स्टेशन के फायर सिस्टम के चीजों की सूची की अनुमति भी अंतिम चरण पर है।

वितरण और सिपट लगाने का काम मेसर्स जोन्सन प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। पूर्व नक्शा और कारखाने की स्वीकृति, 18 लिफ्ट आदि पहुँचा दिया और स्टेशन पर इसको लगाने का काम चालू है।

वितरण और एस्कलेटर लगाने का काम मेसर्स जोन्सन प्राइवेट लिमिटेड एस जे इ सी, चैना को दिया है। नक्शा तैयार करके कारखाने की अनुमति के साथ 20 एस्कलेटर स्थान पर पहुँचा दिया है और स्टेशन पर इसको लगाने का काम चल रहे हैं।

(ई) सोलार प्लांट

डिपो से 2 एम डब्लू और स्टेशन में 2 एम डब्ल्यू क्षमता के साथ छत के ऊपर सोलार प्लांट लगाने का काम मेसर्स हीरो सोलार इंजिनियरेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। इस परियोजना का निर्माण रिन्यूवाबिल एनरजी सर्विस कंपनी की तरह होगी। ऊर्जा बिक्रि समझौता प्रत्येक यूनिट केलिए रु.5.51 के हिसाब से 25 वर्ष केलिए हस्ताक्षर करके दिया है। परियोजना के 15 मूल्य की वित्तीय सहायता करने की अनुमति नये एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायक से मिली है।

यंत्रवत मूल्य इकट्ठा करने की व्यवस्था

आपकी कंपनी ने एक अतुलनीय तकनीकी दृष्टि से नये यंत्रवत मूल्य इकट्ठा करने के सिस्टम को लागू किया है। इस नमूने के अंतर्गत एक वित्तीय कंपनी ए एफ सी वितरक और संयोजक के संघ के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। इसका काम मेसर्स एक्सिस बैंक के संघ को दिया जिसे कई कार्यक्रमों के अनुसार चयन किया है और इसके लिए शहरी विकास, गृह शहरी दरिद्र उपार्जन और संसदीय मामले की उपस्थिति में 10.6.2015 को दिल्ली में हस्ताक्षर कर दिया।

संघ को चलानेवाले मेसर्स एक्सिस बैंक ए एफ सी सिस्टम लागू करने के मूल्य के पूँजी और मरम्मत मूल्य 10 वर्ष तक वहन करेगा और उसी कालावधी में के एम आर एल को स्वत्व शुल्क के रूप में 208 करोड रुपए के भुगतान करेंगे। मेसर्स एक्सिस बैंक एम वी स्तर के ब्रान्डट स्मार्ट कार्ड भी प्रदान करेंगे जिसका उपयोग कोच्ची मेट्रो के टिकट के रूप में और बिक्रि में वाल्यू कार्ड के रूप में भी कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के साथ यात्रा के किराये रेवन्यू के एक प्रतिशत भी बाँटेंगे।

ए एफ सी सिस्टम के बड़े-बड़े उपकरणों के नकशा लगभग सम्पूर्ण हो गए हैं। चाबी के आदि नमूना को सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया और उसका निर्माण कार्य चल रहा है।

बिना यंत्र की गाड़ी की परिवहन और पैदल यात्रियों के लिए सौहार्द प्रारंभ

एम ओ युडी के मार्ग निर्देश के अनुसार एम आर टी एस परियोजना स्टेशन के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक बाइक बॉटने और पैदल यात्रियों के लिए सौहार्द पूर्व सुविधा प्रदान करेंगे।

आपकी कंपनी बिना यंत्र की गाड़ी के परिवहन की विस्तृत योजना तैयार कर रही है ताकि यह एन एम टी के मूलढाँचा (फेस - 1) में प्रगति लाने के लिए कई परियोजनाओं को लेकर आयेगी।

* कोच्ची मेट्रो के आलुवा से पेट्रा तक के कुल लम्बाई 250 मीटर और चौड़ाई के साथ एन एम टी गालियारों का विकास।

* पैदल यात्रियों के लिए परियोजना। ये तो यूरोप में सामान्य सी बात है लेकिन यहाँ पर पहला है।

* एम जी रोड परियोजना में पूर्वी एम.जी रोड को पैदल यात्रियों के लिए है जो दो मेट्रो स्टेशनों के बीच के दो कि.मी है। जैसे एम.जी रोड स्टेशन और महाराजास कॉलेज जंक्शन।

* अस्पताल रोड वाल्कवे परियोजना ने 3.5 मीटर विस्तृत वाल्कवे के द्वारा सब से भीड़वाली कोच्ची के बोट जेटी (एरणाकुलम बोट जेटी) और महाराजास कॉलेज मेट्रो स्टेशन को भी समेकित किया है।

* तीन जंक्शन आलुवा, इडप्पल्ली और वैटिला आदि आधुनिक सुविधाजनक परिवहन के हब्ब और एन एम टी गालियारे के रूप में विकसित होगा।

प्रगति योजना के नकशा युए टी सी, सी ओ डी ए टी यु और इंजीस रेल द्वारा कर रहे हैं। एन एम टी कार्यक्रम के लिए रु.100 करोड आने का अनुमान है इसका भुगतान ए एफ डी द्वारा हो जाने का इन्तज़ार है।

वैकल्पिक रेवन्यू पहल

सार्वजनिक परिवहन एक कम मार्जिनवाला व्यापार है। पैसे के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों के आश्रय में आना अस्तित्व देनेवाला नहीं है और सीधे उपभोक्ता के कर से प्राप्त आय भी आवश्यकतानुसार नहीं मिलता। जो भी हो सार्वजनिक परिवहन की कंपनियाँ अपने वर्तमान संपत्तियों पर पूँजी कर सकती हैं और उनको देखना है कि कैसे द्वितीय कर से प्राप्त आय में परिवर्तन कर सकता है।

अतः आपकी कंपनी वैकल्पिक रेवन्यू केलिए अलग रास्ते और अलग श्रोत ढूँढ रही है। दूसरी तरह के आय केलिए निम्नलिखित रास्ते ढूँढते हैं :

- * विज्ञापन
- * वाणिज्यिक विकास किरायेदार
- * संपत्ति विकास
- * फाइबर की लीस

समेतिक जल परिवहन परियोजना

यूनिफाइड महानगरीय परिवहन प्राधिकारी (यु एम टी ए) के अंतर्गत के एम आर एल ग्रेटर कोच्चिन प्रदेश केलिए एक आधुनिक जल परिवहन सिस्टम को विकसित करने का प्रारंभिक कार्य किया है इसके बारे में रिपोर्ट के प्रारंभिक भागों में सूचित किया है। यह कोच्ची के प्राकृतिक सुंदरतापूर्ण जल परिवहन के लिए अतुल्य और ज्वलंत प्रगति लेकर आयेगा। जल मेट्रो परिवहन से नये जहाज, बोट घाट के सुधार, सड़कों के पुनर्निर्माण जिसके साथ गली लाइट हो ये घाट, बस और मेट्रो स्टेशनों के बीच एक अच्छा सा संबंध बन जायेगा। परियोजना की पूरी गतिविधियों का खर्च विधि सम्मत मालिक के रूप में केरल सरकार उठायेगी और आपकी कंपनी परियोजना की प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन केलिए उत्तरदायी है। इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया के रूप में आपकी कंपनी ने 18 जून 2016 को नई दिल्ली में केरल के मुख्यमंत्री श्री पिण्डारायी विजयन के सान्निध्य में केरल सरकार, के एफ डब्ल्यू, जेरमन निधियन एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते को तैयार किया। आपकी कंपनी ने केरल सरकार की ओर से 747 करोड रुपए पूँजी की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2020 तक एक विशिष्ट मेट्रो की तैयारी के एम आर एल में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सिस्टम को संस्थागत और परिचालित करने की संभावना है। जल मेट्रो सिस्टम पूरी तरह से चालू हो जायेगी तो मेट्रो रेल स्टेशन और द्वीप,, तटीय प्रदेश के बीच तक अद्भुत विकास होने की संभावना है।

उद्यम संसाधन योजना

आपकी कंपनी में उद्यम संसाधन योजना के कार्यान्वयन के तहत व्यापार के प्रबंध की आवेदन को समाकलित करने और तकनीकी, मानवसंसाधन सेवाओं से संबंधित कार्यालय के पीछे की काफी अन्य प्रक्रियाओं को स्वचालित करने की इरादा रखता है। यह स्पष्ट विस्तृत सुरक्षा पोलिसी, श्रेष्ठ कंपनी के स्पष्ट दृश्यता और पूरे विभाग में तेज़ सहयोग के साथ डाटा प्रसंस्करण की क्षमता में तेज़ सहयोग के साथ डाटा प्रसंस्करण में क्षमता लाने के लिए केंद्रीय परिकल्पना की गई है। आपकी कंपनी ने एक चरण बद्ध तरीके से बादल पर आधारित इ और पी सिस्टम को शुरू किया है जो एक ही आवेदन से मुख्य व्यवसाय को किसी नियम के अंतर्गत करता है, तिरस्कार युक्त मूल्य और अधिकता को नष्ट कर देता है। खरीदारी एक खुली निविदा और एस ए पी के द्वारा प्रारंभ किया और इ आर पी समाधान के रूप में चयनित कर लिया गया।

एस ए पी वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन अप्रैल 2015 से कायान्वित किया गया। सामग्री प्रबंधन, पेरोल, प्रबंध प्रस्तुतीकरण, एम आइ एस रिपोर्ट आदि अन्य मोड्यूल चरणों में कार्यान्वित किया। ई-खरीदी का कार्यान्वयन अब प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विरासत प्रणाली और एस एपी समानांतर रूप से चल रहे हैं और 1 अप्रैल 2016 से एस एपी सिस्टम पूरी तरह से परिचालित है।

वित्तीय हाइलाइट और परियोजना निधीकरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने पूर्व वर्ष की हानी 0.18 करोड की अपेक्षा कर के बाद 19.82 करोड के कुल हानि को दिखाया।

शेयरपूँजी और अधीनस्थ ऋण

इस वर्ष के दौरान न्याय की दृष्टि से के एम आर एल को 468.68 करोड (पिछले वर्ष रु.462.25 करोड) रुपए मिले। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से रु.318.68 करोड (पिछले वर्ष रु.312.25 करोड) और केरल सरकार की तरफ से 150 करोड (पिछले वर्ष रु 150 करोड) रुपए प्राप्त हुए। 31 मार्च 2016 तक में जमा किये गए शेयर पूँजी रु.1283 करोड (पिछले वर्ष रु.870.10 करोड) और उसी दिनांक के आधार पर शेयर आवेदन पैसे के भुगतान किए रु.112.23 करोड (पिछले वर्ष रु.56.45 करोड) है। इसके अलावा इस वर्ष भारत सरकार की ओर से रूप में 60.64 करोड (पूर्व वर्ष 66.95 करोड) केंद्रीय कर के रूप में बदले सूद मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त किया। दिनांक 31 मार्च 2016 तक दोनों सरकार की ओर से प्राप्त कुल परिपूर्ति ऋण रु.458.84 करोड (पिछले वर्ष तक रु.398.20 करोड) है।

आपकी कंपनी ने 2015-16 तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की तरफ से 100% और केरल सरकार की तरफ से लगभग 85% न्याय फंडिंग शेयर को हासिल की है।

हिस्सों में ऋण

इस वर्ष के दौरान भारत सरकार की मदद से एजेन्स फ्रान्केस डी डेवालपमेंट ऋण के खिलाफ 264.64 करोड रुपए ले लिया इस वर्ष में केनरा बैंक से 30 करोड रुपए ले लिया। उसके बाद एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से लम्बी अवधी के ऋण के रूप में रु.470 करोड लिया जिसका केरल सरकार ने बैंक टु बैंक के आधार पर ऋण को अपनाया गया। मेट्रो परियोजना की धरती अधिग्रहण केलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 366 करोड रुपए ले लिया बाकी राशी 104 करोड रुपए धरती उपार्जन और वैट्रिटला से पेट्रो तक के सड़क का विस्तार बढ़ाने के लिए केरल सरकार के नाम पर इसी वर्ष में ले लिया।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने कंपनी की आवश्यकता और वैयक्तिक इच्छाओं में संतुलन लाने की कोशिश किया। आपकी कंपनी “मानव शक्ति” के मूल्यों का पीछा करती है। यह काम के संस्कार, कर्मचारी की भागीदारी, उत्पादनक्षमता, क्षमता और प्रभावात्मकता की प्रगति पर ज़ोर देते हैं।

काम के स्थान पर कार्य और दृष्टिकोण को बनाये रखने केलिए उसकी प्रक्रिया & मरम्मत के लिए मानव शक्ति की ज़रूरत है। इस के लिए नये नियुक्ति करके उनको प्रशिक्षण भी देते आ रहे हैं। 31 मार्च 2016 तक के एम आर एल के पास बहुत ही ईमानदार कर्मचारियों का टीम है जिनमें 66 परियोजना विभाग में और 118 प्रक्रिया & मरम्मत विभाग में है। केंद्रीय प्रशिक्षण ढाँचे में असली कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उपयोग करते हैं और यह नये नियुक्ति प्राप्त तकनीकी मानव को अपने काम में प्रतियोगिता के साथ करने इसके द्वारा भविष्य में प्रक्रियापरकक और प्रयोजनपरक आवश्यकताओं की पूर्ती करने लायक संसाधन भी देते हैं। मेट्रो की प्रक्रिया और सामाजिक भलाई को तैयार करने के लिए आपकी कंपनी ने कुटुम्बश्री(स्त्रियों की स्वयं सेवा ग्रूप) के साथ सहकारिता को बनाया जिससे कई सेवाएँ प्राप्त हो सकते हैं जैसे गृहव्यवस्था, स्टेशन में भीड़ नियंत्रण आदि।

केरल सरकार समय-समय पर एस सी/ एस टी/पी एच/ ओ बी सी/ आदि पद केलिए जो आरक्षण के मार्ग निर्देश देते हैं के एम आर एल उसका भी पालन करते हैं।

आपकी कंपनी यही विश्वास करती है कि संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित और प्रसन्न होकर काम करनेवाले कर्मचारियों की ज़रूरत है। के एम आर एल उनके सही क्षमता को पहचानने केलिए मानव संसाधन को विकसित किया है। पूरे साल भर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का रिश्ता शक्तिदायक रहा।

निदेशक मण्डल

इस रिपोर्ट के तिथि तक आपकी कंपनी में 11 निदेशक हैं जिनमें 4 निदेशक भारत सरकार के द्वारा मनोनीत हैं, 5 निदेशक केरल सरकार द्वारा मनोनीत हैं और 2 प्रयोजनमूलक निदेशक हैं। सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार इसके अध्यक्ष हैं जिसमें प्रबन्ध निदेशक केरल सरकार द्वारा नियुक्त हैं। निदेशक मण्डल से संबंधित विस्तृत टिप्पणी निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट वाली धारा में उपलब्ध है।

मण्डल के बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने 24 अप्रैल 2015, 18 अगस्त 2015 और 18 जनवरी 2016 आदि दिनों में यानि की तीन बार मिले।

मण्डल की समिति

के एम आर एल की प्रकृति एवं आकार के साथ मण्डल ने आठ उप समिति को शासित किया गया। वे हैं लेखा परीक्षकों की समिति, अभिशासन सामाजिक दायित्व समिति, मानव संसाधन विकास समिति, प्रक्रिया और मरम्मत समिति, परियोजना प्रबन्धन समिति, निवेश समिति, प्रापण समिति और संपत्ति विकास समिति आदि। हर एक उप समिति केलिए मण्डल द्वारा समय-समय पर अनुमति प्राप्त स्पष्ट तरीके हैं। आपकी कंपनी के आवश्यकतानुसार समय समय पर ये उपसमितियाँ बैठक चलायेंगी। मण्डल की उपसमितियों का विस्तृत विवरण ‘निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट’ वाली धारा में उपलब्ध हैं।

निदेशक के कर्तव्य संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 धारा 134(5) के अंतर्गत निदेशकों को

- * वार्षिक लेखा की तैयारी, लेखा स्तर के उपयोग करते वक्त सही वस्तु वितरण के विवरण के साथ पालन करना है।
- * निदेशकों को ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए जिससे लगातार निर्णय लेने और मूल्य निरूपण करने और वह आपकी कंपनी के स्थिति विवरण को न्यायपूर्ण तरीके से वर्ष के वित्तीय अंत में उस कालावधी के लाभ और हानि के सही रूप दिखा दें।
- * निदेशक को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत आपकी कंपनी के संपत्ति की सुरक्षा एवं गलत या अन्य समस्याओं को समझने एवं रोकने के लिए लगातार लेखा रिकोर्ड का आवश्यक एवं सही सुरक्षा देना है।
- * निदेशक को बिना-चिंता के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार करना है।
- * निदेशक को सभी सिस्टम को प्रभावात्मक एवं सही ढंग में प्रयोग करने केलिए उपयोग योग्य नियमें पर सोचना है।

स्वतंत्र निदेशक की घोषणा

आपकी कंपनी को फिलहाल कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है लेकिन शून्यस्थान केलिए कुछ करेंगे। उसके साथ कंपनी अधिनियम 2013 धारा 149(1) के अनुसार मण्डल केलिए एक महिला निदेशक को भी नियुक्त करना है। जो भी हो मण्डल ने एक स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक की चयन केलिए एक समिति का गठन किया है।

वार्षिक आय की उद्धरण

कंपनी अधिनियम 2013 की 92 की उपधारा (3) के अनुसार वार्षिक आय के उद्धरण का प्रावधान है इसकेलिए तैयार किये गए फार्म इस रिपोर्ट के एम जी टी 9 के साथ जोड़ दिया है।

ऋण, गारंटी और निवेश संबंधी विवरण

रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने

- * किसी व्यक्ति या किसी संयुक्त संस्था को किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया है।
- * किसी ऋण के सिल सिले में किसी व्यक्ति या संयुक्त संस्था को कोई गारंटी या निवेश नहीं दिया है।
- * कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान के अनुसार किसी भी प्रकार के अंशदान, खरीदारी, किसी भी प्रकार के अन्य संयुक्त संस्था को स्वीकार नहीं किया है।

संबंधित पार्टी लेन-देन

रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अनुसार आपकी कंपनी संबंधित पार्टियों के साथ किसी भी प्रकार के करार समझौता नहीं किया है।

वस्तु परिवर्तन और वादाएँ

कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और रिपोर्ट के दिन तक ऐसा देखा गया कि आपकी कंपनी को प्रभावित करनेवाले किसी भी प्रकार का वस्तु परिवर्तन और वादाएँ नहीं हैं।

ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी अवशोषण

आपकी कंपनी ने सफल मेट्रो ट्रेन की प्रक्रिया और पूरी ऊर्जा के साथ चलने केलिए स्टेट आफ आर्ट तकनीकी सिस्टम का उपयोग किया है। आपकी कंपनी कई जगहों में ऊर्जा श्रोत के लिए अन्य तरीकों को अपनाया है उदाहरण के लिए सोलार पवर जो रूढिगत या अपरिवर्तित ऊर्जा श्रोत आश्रय को कम करने में मदद करता है ऊर्जा शक्ति को लागू करने केलिए मेट्रो कोच और स्टेशन में निम्न लिखित सिस्टम को जोड़ा गया है :-

- * ट्रेन के प्रणोदन व्यवस्था केलिए वी वी वी एफ ड्राइव जो ट्रेन के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा प्रदान करते हैं और बंद करते वक्त पुनर्सृजन करने की शक्ति भी देता है।
- * लिफ्ट एस्कलेटर केलिए वी वी वी एफ ड्राइव है जो काम करते वक्त निद्रा और आलसी भाग को प्रदान करता है। सिर्फ यात्रियों के बुलाने पर ही लिफ्ट की पंखा और लाइट जलेगी।
- * ट्रेन में ऊर्जा से युक्त एल इ डी लाइट का उपयोग करता है।
- * स्टेशन और डिपो में बिजली जितने काम है सभी पर एल इ डी का उपयोग करता है और डिपो और स्टेशन में उच्च मस्तूल सेंसर है।
- * एच वी एसी सिस्टम का उपयोग 2.5 मूल्य में उच्च सी ओ पी में किया है जो सभी प्रकार के मौसम के लिए विश्वसनीय और प्रभावशाली है।

सूचना प्रबन्धन संस्था और सामाजिक माध्यम में उपस्थिति

आपकी कंपनी के सूचना विभाग संस्था लगातार आपकी कंपनी के जीवंत उपस्थिति को पूरे मीडिया प्लाटफोर्म पर सुनिश्चित करता है। डिजिटल मीडिया द्वारा सामान्य जनता की ओर कई मत प्राप्त हो सकते हैं इसके द्वारा आपकी कंपनी ने विभिन्न कार्यों का प्रारंभ किया है और मेट्रो को एक याथार्थ्य के रूप में ले आकर लक्ष्य तक पहुँचने में सफलता हासिल की है। यह बहुत ही संतुष्टी का विषय है कि आपकी कंपनी के

फेसबुक पृष्ठ ने 330000 लाइक हासिल किया, हर हफ्ते में पंजीकरण करनेवाले लोगों की संख्या 269690 है और फेसबुक उपयोग करनेवाले में करीब 85438 इनकी प्रत्येक पोस्ट देखने वाले हैं। आपकी कंपनी लगातार घटनाओं एवं काम की प्रगति के दृश्यों को सभी मीडिया मंचन में अद्यतन भी करते आ रहे हैं। आगे आपकी कंपनी की उपस्थिति का सामाजिक मीडिया मंच में विकसित करने केलिए इन्स्टाग्राम ऐप को भी जोड़ दिया है अतः काम की प्रगति के तस्वीर को ऐप में अद्यतन कर सके। 23 जनवरी 2016 को संपन्न कोच्ची मेट्रो कोचों की प्रथम परीक्षण यात्रा के उद्घाटन का जीवंत दृश्य फेसबुक पृष्ठ और ब्लॉग में डाला था जिसे विश्व भर में करीब 300000 लोगों ने देखा। रोज़ के उद्यतन, वार्ता, काम के प्रगति का तस्वीर, बीडियो, नागरिक भाषण और घटना पोस्टिंग सामान्य जनता के साथ अच्छे रिश्ते विकसित करने में मदद किया और इससे लोगों को अपनी टिप्पणी, विचार, समीक्षा आदि देने का जगह प्रदान किया गया।

आपकी कंपनी 3 सितंबर 2015 को वैविध्यपूर्ण मॉडल परिवहन की नई सोच को लगाते हुए नये लोगों को बनाया इससे कंपनी को एक अलग स्तर मिल गया। मेट्रो कोच के आंतरिक एवं बाह्य नक्शे के साथ नये ‘लॉगों’ का उद्घाटन केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री उम्मन चाण्डी और पवर एवं रेलवे के भूत पूर्व मंत्री श्री आरयाडन मोहम्मद के द्वारा संपन्न हुआ था। कोच्ची में विभिन्न तरीके के परिवहनों को जोड़ने की सोच ने जल, सड़क और रेल को समकालित करते हुए परिवहन व्यवस्था को आगे रखा और यह ‘लॉगों’ को परिवर्तन की ओर ले गया।

के एम.आर.एल संचारित और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से कॉरिअर, कर्मचारी और निविदा को अपने वेबपेज में प्रस्तुत किया था जिससे स्टेकहोल्टर के साथ वेब आधारित संचार सशक्त हो सके। कॉरिअर पेज से प्रत्याशी विज्ञप्ति दिये गये पद पर ओन लाईन आवेदन कर सकते थे। अभी हाल ही में जो निविदा पेज जलावतरण हुआ है वह एस ए सी ई - के साथ समन्वित किया गया है।

विदेशी मुद्रा कमाई और खानगी

इस साल कोई विदेशी मुद्रा कमाई नहीं हुआ। तो भी, बराबर 28.01 लाख रुपए विदेशी यात्रा केलिए प्राप्त हुआ था।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी संभावित जोखिम घटित होने से पहले ही पहचान लेने केलिए वचनबद्ध है ताकि परियोजना में जब कभी ज़रूरत पड़ जाती है तब जोखिम प्रबंधन की गतिविधियाँ उसके विपरीत प्रभावों को कम करके लक्ष्य हासिल करते हैं।

यह सब कुछ ध्यान में रखते हुए आप की कंपनी ने निम्नलिखित खास लक्ष्य/ उद्देशों तक पहुँचा है :-

1. कंपनी की वर्तमानकालिक और भविष्यकाल के सामग्री जोखिम अनावरण को पहचानना, मूल्यांकन करना, मात्र ठहराना, उचित रूप से कम करना, कम से कम और कामयाब करने केलिए सुनिश्चित करना।
2. उच्च प्राथमिकता जोखिम के आक्रामक तरीके से प्रबंधित और सफाया करने केलिए सुनिश्चित करना।
3. सभी जोखिमों को सह प्रभावी रूप से प्रबंधित करने केलिए सुनिश्चित करना।
4. परियोजना की सफलता केलिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचित निर्णय करके जानकारी को बढ़ावा देना और प्रबंधन के सभी स्तरों पर बांटने केलिए सुनिश्चित करना।
5. जहाँ लागू है वहाँ उचित नियमों के अनुपालन करने के लिए सुनिश्चित करना।

विशिष्ट उद्देशों को प्राप्त करने के लिए आप की कंपनी ने निम्नलिखित उपायों को स्वीकृत किया है :-

- * कंपनी सचिव, अपर महाप्रबंधक और कानूनी अधिकारी के आंतरिक टीम के संविधान ने मिलकर उपयुक्त विभिन्न विधियों के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया।

- * ट्रैमसिक आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया। उनके अवलोकनों की समीक्षा और सुधारात्मक कारबाई जहाँ कही भी उचित है वहाँ पाया गया।
- * आंतरिक लेखाकार द्वारा एक टीम को त्रसित किया गया है जिसका उद्देश्य है परिसंपत्तियों का भौतिक नियमित अंतराल करना।
- * डेटा ऐन्क्रिप्शन के संचार केलिए प्रौद्योगिकी और भंडारण उपयोग करना जिससे सुरक्षा और डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- * कंपनी की परिसंपत्तियों केलिए बीमा करना।

सावधि जमा

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अध्याय V के तहत सार्वजनिक से आपकी कंपनी ने कोई सावधि जमा नहीं स्वीकार किया है।

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों

उत्तरदायी और संवेदनशील कार्पोरेट नागरिक होने के कारण आप की कंपनी ने अपनी हितधारकों के प्रति प्रतिबद्ध है जिसमें शोयरधारकों, कर्मचारियों, प्रबंध आर्पूत्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समुदाय आते हैं। पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो संगठन होने के कारण समाज के प्रति आप की कंपनी ने उपक्रम की पहल अपनी स्थापना के समय से कोच्चीन के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना स्वीकार कर लिया है।

आप की कंपनी की प्रावधानों कंपनी अधिनियम 2013 में संकलित है और इस कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की समिति में शामिल है :-

1. श्री एलियास जोर्ज	-	अध्यक्ष
2. श्री. मुकुन्द कुमार सिन्हा	-	सदस्य
3. श्री.एल नरसिंह प्रसाद	-	सदस्य
4. श्री. एब्राहम उम्मन	-	सदस्य
5. श्री. प्रवीण गोयल	-	सदस्य

हालांकि कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति व्यय करने के लिए वैधानिक आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपकी कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान स्वैच्छिक निम्नलिखित पहल चलाया।

पिछले साल में कोच्ची के अंदर और आसपास शहर में आप की कंपनी ने ‘गो ग्रीन’ के अंतर्गत 2159 पेड़ों को लगाए थे। कोच्ची में सड़क यात्रा के अनुभव को सुधारने केलिए 26.66 करोड़ रुपए का नवीनतम उपलब्ध तकनीक से 34 सड़कों को 25 कि.मी. खिंचवाया और मज़बूत बनाया।

आपकी कंपनी ने कोच्ची के जलनिकास की सफाई करने केलिए और मानसून के दौरान लोगों की जो कठिनाई होती है उसे कम करने केलिए पंचायत और नगर पालिकाओं की सहायता की है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों

आलोच्य वर्ष के दौरान जो निदेशक अवकाश प्राप्त हुआ है उन्हीं के स्थान पर निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति किया गया है।

ANNUAL REPORT

2015-2016

नं	रह गए निदेशकों का नाम	कार्यकाल की तारीख	नियुक्ति किये गये निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री. वेदमणि तिवारी	30/06/2015	श्री प्रवीण गोयल	11/07/2015
2.	श्री महेश कुमार	31/12/2015	-	-
3.	श्री. जिजी तोमसन	27/02/2016	श्री. एस एम विजयानंद	23/05/2016
4.	श्री. मधुसूदन प्रसाद	31/03/2016	श्री. राजीव	01/04/2016
5.	श्री. लाल कुमार	31/05/2016	-	-

आलोच्च वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को स्थिर किये हैं:-

- * श्री. एलियास जोर्ज प्रबंध निदेशक
- * श्री. मुकुन्द कुमार सिन्हा
- * श्री. जितेन्द्र त्यागी
- * श्री. वी.जे . कुरियन
- * डॉ. के.एम एब्रहाम
- * डॉ. एम. जी. राजमाणिक्कम
- * श्री. एल नरसिंह प्रसाद
- * श्री. एब्रहाम उम्मन

31 मार्च 2016 के पहले निदेशक के क्षेत्र में आये परिवर्तन

- * 30 जून 2015 को श्री.वेदमणि तिवारी, निदेशक (सिस्टम) ने कार्यालय के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया ।
- * 31 दिसंबर 2015 को श्री महेष कुमार निदेशक (परियोजना) ने कार्यालय के निदेशक पद से त्याग पत्र दे दिया ।
- * 29 फरवरी 2016 को श्री जिजी तोमसन, मुख्य सचिव, केरल सरकार ने कार्यालय से पदत्याग करके पेंशन में चले गये ।

31 मार्च 2016 श्री मधुसूदन प्रसाद, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय कार्यालय से पदत्याग करके पेंशन में चले गए ।

31 मार्च 2016 के पहले निदेशक के क्षेत्र में आये परिवर्तन जो इस रिपोर्ट के तारीख से पहले हुआ था:-

1 अप्रैल 2016 को श्री राजीव गौवा, सचिव शहरी विकास मंत्रालय ने (भारत सरकार के नोमिनी) मण्डल अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया ।

23 मई 2016 को श्री. एस.एम विजयानंद, मुख्य सचिव, केरल सरकार ने (केरल सरकार के नोमिनी) मण्डल निदेशक के पद ग्रहण कर लिया ।

31 मई 2016 को श्री.लाजकुमार, अतिरिक्त सदस्य, वर्क्स/ रेलवे बोर्ड ने कार्यालय से पदत्याग करके पेंशन में चले गए ।

इस रिपोर्ट की तारीख में आपकी कंपनी में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियाँ थे:-

श्री एलियास जोर्ज, प्रबंध निदेशक

श्री एब्रहाम उम्मन, निदेशक वित्त

श्री प्रवीण गोयल, निदेशक, सिस्टम

श्री. बी. अनिलकुमार , कंपनी सचिव

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

31 मार्च 2016 तक समाप्त वर्ष में आप की कंपनी के अधिनियम, 2013 में निधारित कार्यक्रम के अनुसार 111 के रूप में वित्तीय विवरण का खुलासा किया।

महत्वपूर्ण सामग्री के आदेश

कोई महत्वपूर्ण और सामग्री के आदेश का पारित नियामकों या कोई भी कोर्ट या कंपनी और उनकी गतिविधियों पर प्रभाव डालने लायक नहीं हुआ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अर्दली और कुशल संचालन केलिए बोर्ड ने मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को स्वीकार किया है जिससे आप की कंपनी के व्यापार की संपत्ति की सुरक्षा, त्रुटियों का पता लगाना और धोखा धड़ी रोकना, शुद्धता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता समय पर तैयार करना और प्रस्तुत करना आदि के लिए विश्वसनीय वित्तीय बयान सुनिश्चित किया है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

आप की कंपनी ने त्रुटीहीन कॉरपोरेट गवर्नेंस मानक के पारदर्शिता के कर्ता, अखंडता और अपनी सभी गतिविधियों में जवाबदेही का पालन किया है। इस रिपोर्ट के साथ निगम से संबंधित शासन प्रणाली का रिपोर्ट भी जोड़ा गया है।

ऐ.सी.एस.ऐ का सचिवीय मानक

दिनांक 23 जुलाई 2015 के निगमित मामले मंत्रालय, भारत के कंपनी सचिवों की संस्था (आई सी एस ऐ) के अनुमोदन के अनुसार सांचिविक मानकों में अधिसूचित मण्डल निदेशकों (एस एस - 1) और सामान्य बैठक (एस एस - 2) 1 जुलाई 2015 से प्रभावी है। कंपनी का पालन करती है।

वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिसचना, 2013 की दारा 139 के अनुसार मिस्टर के.वर्गीस आँड कंपनी को कंट्रोलर और महालेखा परीक्षक ने मिलकर कंपनी की वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है जिसको अगले वार्षिक आम बैठक के निष्कर्ष तक दफ्तर में रहना है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिसूचना 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार मिस्टर गोपी मोहन सतीश और एसोसिएट्स को 2015-16 साल के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट के साथ सचिवीय लेखा परीक्षक का एक रिपोर्ट भी है और कंपनी सचिव द्वारा बनाया गया सचिवीय लेखा परीक्षक के अभ्यास का स्पष्टीकरण या हर योग्यता केलिए टिप्पणियाँ भी हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षक

आप की कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के संचालन करने के लिए मिस्टर जे.आर.एस और कं., चार्टेड, एकामउंटेट कोच्ची को नियुक्त किया है। लेखा परीक्षा समिति समय-समय पर आंतरिक लेखा परीक्षक के कर्तव्यों का देखरेख करेंगे और उनके रिपोर्ट की समीक्षा भी करेंगे।

अन्य प्रकटीकरण

कार्यालय पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कंपनी की एक नीति है। कंपनी ने कार्यस्थल में महिलाओं के साथ होनेवाले उत्पीड़न को रोकने केलिए अधिनियम 2013 के अनुसार एक आंदरिक शिकायती समिती का गठन किया है। जिसमें निम्न लिखित सदस्य महिलाओं के साथ होनेवाले यौन उत्पीड़न को रोककर एक सुरक्षित वातावरण को बनाये रखने का दायित्व संभालती है।

* मिस. सूसन सोलमन तोमस	अधिष्ठाता
* डॉ. लिज़म्मा कोशी	अवकाशप्राप्त
रसायन विभाग के अध्यक्ष	
महाराजस कॉलेज	बाहरी सदस्य
* मिस. लिल्ली कुट्टी राजू	सदस्य
* डॉ. ए. जे अगस्टिन	सदस्य और संयोजक

यौन उत्पीड़न का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

अभिस्वीकृति

आप के निदेशकों की सच्ची सराहना से सहायता प्रदान करने केलिए केन्द्रीय / राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी सी और ए.जी दफ्तर, वैधानिक लेखा, परीक्षक, साचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, ए.एप.डी के एफ.डब्ल्यू, कैनरा बैंक, एरणाकुलम जिला सहकारित बैंक, अन्य व्यावसायिक बैंक, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड मिट और देश्य मीटिया, आप के कंपनी के विक्रेताओं, सलाहकारों, ग्राहकों और विभिन्न स्टेकहोल्टर में से हर एक को तहे दिल से धन्यवाद किया है। आपकी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों, सदस्यों को भी इस बोर्ड ने प्रतिबद्धता और सह आपरेशन केलिए सच्ची सराहना किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली

मण्डल निदेशकों की ओर से और केलिए

तारीख : 19 जुलाई 2016

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष

वार्षिक वापसी का उद्धरण (फॉर्म एम जी टी 9)

31 मार्च 2016 तक समाप्त होनेवाले वित्तीयवर्ष के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

- i. संस्था का पहचान नं, सी आइ एन : U60100KL2011SGC029003
- ii. पंजीकरण दिनांक : 02/08/2011
- iii. कंपनी का नाम : कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
- iv. कंपनी के वर्ग / उपवर्ग : पब्लिक कंपनी
- v. पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : रेवन्यू टॉवर, 8 वाँ मंजिल
सुभाष पार्क के सामने कोच्ची, केरल,
भारत, पिन - 682011
फोन - +914842380980
फैक्स : +914842380686
ईमेल : anilkumar.b@kmrl.co.in
वेबसाइट : www.kochimetro.org
- vi. कंपनी सूचि पत्रित : नहीं
- vii. रजिस्ट्रार के नाम, पता और संपर्क विवरण और यदि कोई स्थानांतरण एजेंट हो तो उसका विवरण : लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यापार

सभी प्रकार के व्यापारों का 10% या कंपनी के पूरे लाभ का 10% से अधिक देन दिखाया है।

क्रम नं.	वस्तु के नाम और विवरण सर्विस	वस्तु/ सर्विस के एन आइ सी कोड	कंपनी के कुल लाभ के प्रतिशत
इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कंपनी परियोजना की स्थिति में है और उसने अपनी प्रक्रियाएँ शुरू ही की है।			

III. नियंत्रक कंपनी, अनुबंध और सहायक कंपनी

इस कंपनी केलिए कोई नियंत्रक कंपनी, अनुबंध कंपनी या सहायक कंपनी नहीं है।

IV. शेयर धारक नमूना (इक्विटि शेयर पूँजी का कुल इक्विटि के रूप में संबंध विच्छेद)

(1) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में प्राप्त शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान आये परिवर्तन का %
	डीमैट	शारीरिक	कुल	कुल शेयर के %	डीमैट	शारीरिक	कुल	कुल शेयर के %	
क प्रमोटर									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) व्यक्तिगत / पूँच यु अफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(आ) केंद्र सरकार	-	4,35,05,000	4,35,05,000	50		6,41,50,000	6,41,50,000	50	47.45
(इ) राज्य सरकार	-	4,35,05,000	4,35,05,000	50		6,41,50,000	6,41,50,000	50	47.45
(ई) संस्थागत बोडी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(उ) बैंक /एफ आइ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ऊ) अन्य									
कुल (क)	-	8,70,10,000	8,70,10,000	100		12,83,00,000	12,83,00,000	100	47.45
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) एन आर आई व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(आ) अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-
(इ) संस्थागत बोडी	-	-	-	-	-	-	-	-
(ई) बैंक/एफ आई	-	-	-	-	-	-	-	-
उ. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)								
(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटर के कुल शेयर धारिता	-	8,70,10,000	8,70,10,000	100	12,83,00,000	12,83,00,000	100	47.45
(क)								
(क) (1)+(क) (2)								
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) मूच्चल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-
(आ) बैंक/एफ आई	-	-	-	-	-	-	-	-
(इ) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-
(ई) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-
(उ) उद्यम पूँजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-
(ऊ) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) एफआईआईएस	-	-	-	-	-	-	-	-
(ए) विदेश उद्यम पूँजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-
(ऐ) अन्य (स्पष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) संस्था के अलावा	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) संस्थागत बोडी	-	-	-	-	-	-	-	-
i. भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. ओवरसीस	-	-	-	-	-	-	-	-
(आ) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-

(i) व्यक्तिगत शेयरधारक रु.एक लाख तक नाममात्र केलिए शेयर रखते हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक अधिकतम रु.एक लाख तक नाममात्र केलिए शेयर रखते हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ई) अन्य (स्पष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) (2) :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)									
(ख) (1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) जीडी आर एस एडी आर एस केलिए पकड़कर रखे शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	8,70,10,000	8,70,10,000	100	-	12,83,00,000	12,83,00,000	100	47.45
(क+ ख +ग)									

ii. प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

क्रम संख्या	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के अंत में शेयरधारिता	इस वर्ष के दौरान शेयरधारिता में आये परिवर्तन के %					
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों के %	कुल शेयर के गिरवी रखे शेयर/ भारग्रस्त शेयर	शेयर की संख्या	कंपनी के गिरवी रखे कुल शेयरों के %	कुल शेयर रखे शेयर/ भारग्रस्त शेयर		
1.	भारत के राष्ट्रपाति	4,35,05,000	50	-	6,41,50,000	50	-		47.45
2.	केरल के राज्यपाल	4,35,05,000	50	-	6,41,50,000	50	-		47.45
	कुल	8,70,10,000	100	-	12,83,00,000	100	-		47.45

iii. प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो उल्लेख कीजिए)

क्रम संख्या	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता			
	प्रमोटर्स का नाम	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर के %	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयर के %
	वर्ष के प्रारंभ में				
	भारत के राष्ट्रपति	4,35,05,000	50	-	-
	केरल के राज्यपाल	4,35,05,000	50	-	-
	कुल	8,70,10,000	100	-	-
	शेयरधारियों में परिवर्तन				
1.	भारत के राष्ट्रपति 18 अगस्त 2015 (आवंटन)	56,45,000	5.74	4,91,50,000	50
2.	केरल के राज्यपाल 18 अगस्त 2015 (आवंटन)	56,45,000	5.74	4,91,50,000	50
3.	भारत के राष्ट्रपति 18 जनवरी 2016 (आवंटन)	1,50,00,000	11.69	6,41,50,000	50
4.	केरल के राज्यपाल 18 जनवरी 2016 (आवंटन)	1,50,00,000	11.69	6,41,50,000	50
	वर्ष के अंत में				
	भारत के राष्ट्रपति	-	-	6,41,50,000	50
	केरल के राज्यपाल	-	-	6,41,50,000	50
	कुल	-	-	12,83,00,000	100

iv. श्रेष्ठ 10 शेयरधारकों का शेयरधारिता नमूना (निदेशक, प्रमोटर्स और जी डी आर एस और ए डी आर एस धारकों के अलावा)

क्रम.संख्या		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता
	प्रत्येक श्रेष्ठ 10 शेयरधारकों के लिए	शेयरों की संख्या कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-
	दिनांक के अनुसार शेयरधारिता में आये वृद्धि / कमी और वृद्धि/ कमी के कारण उल्लेख (उदाः आवंटन/स्थानांतरण/ बोनस/ उद्यम इकिवट आदि)	-	-
	वर्ष के अंत में (यदि वर्ष में अलग हो गये तो अलग हुए दिनांक अनुसार)	-	-

v निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता :-

क्र.संख्या		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता
	प्रत्येक निदेशक और के एम पी के लिए	शेयरोंकी संख्या कंपनी के कुल शेयरों के %	शेयरोंकी संख्या कंपनी के कुल शेयरों के %
1.	श्री.मधुसूदन प्रसाद		
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-
	वर्ष के अंत में	1	-
2.	श्री मुकुंद कुमार सिंहा		
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-
	वर्ष के अंत में	1	-
3.	श्री एलियास जोर्ज		
	वर्ष के प्रारंभ में	2	-
	वर्ष के अंत में	2	-
4.	श्री. वी.जे. कुरियन		
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-
	वर्ष के अंत में	1	-
5.	श्री. जिजी तोमसन		
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-
	वर्ष के अंत में	1	-

6.	श्री.एल.नरसिंह प्रसाद				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
7.	श्री. एम.जी.राजमाणिककम				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
8.	डॉ. के.एम.एब्रहाम				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
9.	श्री एब्रहाम उम्मन				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-
10.	श्री.प्रवीण गोयल				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-
11.	श्री.बी.अनिलकुमार				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-

टिप्पणी : निदेशक सरकार के नोमिनी के रूप में शोयरधारण करते हैं

V. ऋण

कंपनी ऋण जिसके अंतर्गत ब्याज/उपार्जित लेकिन भुगतान में देय नहीं

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के ऋण	रु. लाखों में			
	सुरक्षित ऋण जमा के सिवा	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
i) मुख्य राशी	74,779.00	39,820.00	-	1,14,599.00

ii	देय ब्याज लेकिन नहीं चुकाया	-	-	-	-
iii	ब्याज उपर्जित लेकिन देय नहीं	101.59	-	-	101.59
	कुल (i + ii + iii)	74,880.59	39,820.00	-	1,14,700.59
	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में परिवर्तन अतिरिक्त	39,864.00	6,064.00	-	45,928.00
	कमी	-	-	-	-
	शुद्ध परिवर्तन				
	वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण				
i	मुख्य राशी	11,463.00	45,884.00	-	1,60,527.00
ii	देय ब्याज लेकिन नहीं चुकाया	-	-	-	-
iii	ब्याज उपर्जित लेकिन देय नहीं	4,857.15	-	-	4,857.15
	कुल (i + ii + iii)	1,19,500.15	45,884.00	-	16,538.15

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या मैनेजर के पारिश्रमिक

रु. लाखों में

क्रम संख्या	पारिश्रमिक संबंधी विवरण	एम डी / डब्ल्यू टी डी / मैनेजर के नाम		कुल राशी	
		श्री एलियास जोर्ज(एम.डी)	श्री.एब्रहाम उम्मन (डब्ल्यू टी डी)	श्री प्रबोण गोयल (डब्ल्यू टी डी)	
1.	सकल वेतन (अ) आयकर 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन	-	26.76	14.81	41.57
	(आ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ के मूल्य	-	-	1.82	1.82
	(इ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन बदलाव के लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-

3.	उद्यम इकाई	-	-	-	-
4.	आयोग	-	-	-	-
	लाभ के % के अनुसार	-	-	-	-
	अन्य (उल्लिखित करें)	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	कुल (क)	-	26.76	16.63	43.39
	अधिनियम के अनुसार				
	अधिकतम सौमा	-	लागू नहीं		

टिप्पणी: प्रबंध निदेश के वेतन केरल सरकार चुकाती है। वेतन और अनुलाभ में पारिश्रमिक यानि की वेतन, भत्ता, लाभ आदि सभी प्रकार के तत्व शामिल हैं।

(क) कंपनी ने किसी भी निदेशक को किसी भी प्रकार का स्टॉक का विकल्प नहीं दिया है।

(ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने गैर कार्यकारी निदेशक को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया है।

(ग) एम डी / मैनेजर/ डब्लियू टी डी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

र. लाखों में

क्रम. संख्या	पारिश्रमिक विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियाँ			
1.	सकल वेतन	सी इ ओ	कंपनी सचिव	सी एफ ओ	कुल
	(अ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	14.29	-	14.29
	(आ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभ के मूल्य	-	-	-	-
	(इ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन बदलाव के लाभ	-	-	-	-

(2)	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
(3)	उद्यम इकिवटी	-	-	-	-
(4)	(आयोग)	-	-	-	-
	लाभ के% के अनुसार	-	-	-	-
	अन्य (उल्लिखित करें)	-	-	-	-
(5)	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	कुल	-	14.29	-	14.29

VII. दंड/सज्जा/अपराधों की समझौता

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के दंड/सज्जा/अपराधों की समझौता नहीं हुआ है।

फोम नं. ए आर - 3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2016 तक समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए

सेवा में,

सदस्य
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

हम ने उपयुक्त सांविधिक प्रावधानों और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड (बाद में कंपनी कहा गया) के अच्छे कारपोरेट अनुभवों के अनुपालन द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा को संपन्न किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा को एक ऐसे तरीके से तैयार किया है जो कोरपोरेट संबंधों का मूल्यांकन केलिए हमें दिये गये उचित आधारों/सांविधिक अनुपालन और उस पर हमारी राय प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है।

कंपनी द्वारा बनाए रखे किताबों, कागजों, कार्यवृत्त बुकों, फार्म और रिटर्न मिसिलों और अन्य रिकार्डों आदि के निरीक्षण और कंपनी द्वारा प्राप्त सूचनाएँ सचिवीय लेखा परीक्षा के बक्त उसके अफसरों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों से संपर्क करने के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च 2016 तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी को बहुत ही व्यवस्थित रूप में जहाँ जहाँ विस्तृत चाहिए वहाँ मण्डल प्रक्रियायें और मेकानिसम की तौर तरीका हुआ है इसके बाद ही इसका रिपोर्ट दिया है।

यह कंपनी सूचीबद्ध इकाई में नहीं आती इसलिए इसको भारत के सुरक्षा और एक्सचेंज बोर्ड के अधिनियम 1992 और उसके विभिन्न नियम और विनियम को लागू करने की ज़रूरत नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार हम ने 31 मार्च 2016 तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष केलिए मेट्रो रेल लिमिटड द्वारा बनाये रखे किताबें, कागजें कार्यवृत्त फार्म और कर संबंधी रिटर्न की दाखिले और अन्य रिकार्डों का परीक्षण किया और जितने नियम और कानून उसके अंतर्गत हैं सभी कंपनी केलिए लागू हैं।

निरीक्षण की कालावधि में कंपनी ने अधिनियम कानून अधिनियम, दिशा निर्देश आदि प्रावधानों का अनुपालन किया है।

उपर्युक्त विषय का अवलोकन निम्नलिखित है :-

1. कंपनी ने अधिनियम की धारा 149(6) के अधीन अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है और स्वतंत्र निदेशकों के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(3) के अधीन अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति को पुनर्गठित नहीं किया है।
2. कंपनी ने अधिनियम की धारा 173(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि 31 दिसंबर 2015 तक के तीन महीनों के दौरान मण्डल ने कोई बैठक नहीं चलाया।

अन्य नियमों के संबंध में जैसे कर्मचारी और श्रम नियम, कल्याण और उससे संबंधित गतिविधियाँ आदि विशेष रूप से कंपनी केलिए लागू हैं। हमारे लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/ रिकार्डों से हमें भरोसा आया है और विस्तृत रिपोर्ट को सीमित किया है :-

हम आगे रिपोर्ट करते हैं :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन ज़ारी किये गए निम्नलिखित नियम कंपनी केलिए लागू नहीं हैं:

1. कंपनी (जारी किए ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद) नियम 2014 के तहत कंपनी ने कोई ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद ज़ारी नहीं किया है।
2. कंपनी (सूचीपत्र और प्रतिभूतियों के आवंटन) नियम कंपनी ने इक्विटी शेयरों को सूचीपत्र के द्वारा जारी नहीं किया है।
3. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के तहत कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

4. कंपनी (निरीक्षण, जाँच पड़ताल और पूछताछ) नियम 2014 के तहत कंपनी के कार्य पर किसी भी प्रकार का निरीक्षण, जाँच पड़ताल और पूछताछ का आदेश नहीं दिया है।

5. कंपनी (घोषण और लाभांश का भुगतान) नियम 2014 के तहत कालावधि के दौरान कंपनी ने कोई लाभांश की घोषण नहीं की है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन जारी किये गए निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया है जिस विषय का अवलोकन ऊपर उल्लिखित है:

1. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014
2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014
3. कंपनी (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) 2014
4. कंपनी (मण्डल के बैठक और उसकी शक्ति) नियम 2014
5. कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक) नियम 2014
6. कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम 2014
7. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014

निरीक्षण करते समय कालावधी के बीच दिखाई पड़े निदेशक मण्डल के परिवर्तन में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन किया है और विषय का अवलोकन ऊपर उल्लिखित है।

निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले ही मण्डल के बैठक, कार्यसूची, कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी आदि भेजने की पर्याप्त सूचना दी है और बैठक से पहले कार्यसूची में चर्चित बिंदुओं पर मांग और आगे की सूचना और स्पष्टीकरण को प्राप्त करने केलिए एक व्यवस्था है और यह बैठक की अर्थपूर्ण भागीदारी में सहायक होगी।

मण्डल के बैठक में लेनेवाले सभी निर्णयों को उचित ढंग से कार्यवृत्त में रिकोर्ड किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को योग्य नियम, कानून और दिशा निर्देशों के साथ उनके आकार और प्रक्रिया को देखने और अनुपालन करने के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियायें हैं।

स्थान : एरणाकुलम

गोपीमोहन सतीशन & एसोसियोट्स

दिनांक : 16.07.2016

(हस्ताक्षार)

के.पी.गोपीमोहन

साथी

एफ सी एस नं -7110

सी पी नं : 2912

कंपनी सचिव द्वारा निर्मित उनके साचिविकीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रत्येक योग्यता पर स्पष्टीकरण और टिप्पणी

- (1) कंपनी अधिनियम की धारा 149(6) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित है और स्वतंत्र निदेशकों के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(3) के अधीन अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति को पुनर्गठित नहीं किया है।

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक के चयन केलिए एक उपसमिति का गठन किया और 24 वाँ मण्डल जो 19 जुलाई 2016 को संपन्न हुआ था उसमें एक महिला निदेशक को नियुक्त किया गया।

- (2) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन मण्डल बैठक को आवश्यक तौर तरीके से बुलाने का प्रयास प्रबंध का हो गया है। प्रशासनिक समस्याओं और वरिष्ठ स्तर के सरकारी कर्मचारियाँ के जो निदेशक मण्डल के हैं, उनके अनिवार्य कार्यालयीन अतिव्यस्तता के कारण बैठक नहीं हो पायी। जो भी ही उसका अनुपालन भविष्य में होगा।

निगमित अभिशासन का रिपोर्ट

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड एक गैर सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जो निर्णय लेने में वित्तीय संपदा के ईमानदारी, अखंडता, जवाबदेही पर्याप्त स्पष्ट, कानूनी अनुपालन, पारदर्शिता एवं व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित न होने के निगमित अभिशासन के सिद्धांतों एवं तत्वों का पीछा करती है। कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड हितधारक की संतुष्टि, वित्तीय विवेक और मूल्य की प्रतिबद्धता पर विश्वास करते हैं। इसलिए मण्डल पहचानने और कंपनी द्वारा ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं को सजाने का मांग जारी रखेंगे। हमारे कोरपरेट की संरचना व्यापार और प्रकटीकृत प्रथायें हमारे निगमित अभिशासन के दर्शन के साथ गंठबंधित हो गया है।

के एम आर एल की प्रक्रियाओं के सीधीसी मार्ग रेखायें, कंपनी के संयुक्त नियम (ए ओ ए), कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान मानक लागू लेखाकरण, सी एन्ड एजी जैसे प्राधिकृत द्वारा निर्धारित नियमन, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तथा उसके अधीन बताए नियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। इसके साथ साथ सभी अनुयोज्य कानून संगठन के कार्यक्रमों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिस्थिति, कर्मचारियों का कल्याण, ठेकेदार, मूल्यों की क्षतिपूर्ति परियोजना से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों के पुनः प्रतिष्ठापन एवं नियमन आदि की भी देखभाल कंपनी करती है।

निदेशक मण्डल

इस रिपोर्ट के आज की तारीख में कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने 11 निदेशकों को शामिल किया है जिनमें से 4 भारत सरकार द्वारा मनोनीत हैं और 5 केरल सरकार द्वारा और 2 कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव और प्रबंध निदेशक केरल सरकार के पद के उम्मीदवार हैं।

इस रिपोर्ट के आज की तारीख में के एम आर एल का गठन :-

1. श्री.राजीव गौबा	-	अध्यक्ष
2. श्री.मुकुंद कुमार सिंहा	-	निदेशक
3. श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	निदेशक
4. श्री.एल. नरसिंह प्रसाद	-	निदेशक
5. श्री. एस.एम.विजयनंद	-	निदेशक
6. श्री. एलियास जोर्ज	-	प्रबंध निदेशक
7. श्री. के.एम. एब्राहाम	-	निदेशक
8. श्री. वी.जे.कुरियन	-	निदेशक
9. डॉ. एम.जी. राजमाणिककम	-	निदेशक
10. श्री.एब्राहाम उम्मन	-	निदेशक (वित्त)
11. श्री. प्रवीण गोयल	-	निदेशक (सिस्टम्स)

रिपोर्टधीन कालावधि में दोनों सरकार की तरफ से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्नलिखित निदेशकों को भी शामिल किया है।

1. श्री. राजीव गौबा, भारत सरकार द्वारा नामांकित निदेशक & अध्यक्ष
2. श्री. एस.एम. विजयानंद, केरल सरकार द्वारा नामांकित निदेशक।

प्रशंसा पर ध्यान

मण्डल ने श्री. मधुसूदन प्रसाद, अध्यक्ष से प्राप्त अनुभवी उपदेश और उसने प्रदान की कई सेवा केलिए प्रशंसा को अंकित किया है जिन्होंने सचिव, एम ओ यु डी से पगत्याग करके पेंशन में चले गये और निम्न लिखित निदेशकों के भी इस वर्ष की समीक्षा के दौरान निदेशक पद समाप्त हो गया।

1. श्री. वेदमणी तिवारी (30.6.2015 तक)
2. श्री. महेश कुमार (31.12.2.15 तक)
3. श्री. जिजी तोमसन (29.2.2016 तक)
4. श्री. लाज कुमार (31.5.2016 तक)

कंपनी के निदेशक मण्डल प्रशासनिक कार्यों में सिद्ध और कंपनी के कार्यों में क्रियान्वयन क्षमता रखनेवाले अनुभवी व्यक्ति को शामिल करते हैं और जो साथ ही कंपनी के कार्यों में सामूहिक रूप से सीधे हो।

निदेशकों के उपस्थिति रिकोर्ट :

क्रम सं	निदेशक का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान 2016-16 में आयोजित बैठकें	भाग लिए बैठक	भाग लिए एजीएम
1.	श्री. राजीव गौबा	0	0	नहीं
2.	श्री. मधुसूदन प्रसाद	3	3	नहीं
3.	श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	3	3	हाँ
4.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	3	2	नहीं
5.	श्री. एल नरसिंह प्रसाद	3	2	नहीं
6.	श्री. लाज कुमार	2	1	नहीं
7.	श्री. जिजी तोमसन	3	0	नहीं
8.	श्री. एलियास जोर्ज	3	3	हाँ

9.	डॉ. के एम. एब्रहाम	3	0	नहीं
10.	श्री. वी.जे.कुरियन	3	1	हाँ
11.	डॉ. एम.जी राजमाणिककम	3	0	नहीं
12.	श्री. एब्रहाम उम्मन	3	3	हाँ
13.	श्री. महेश कुमार	2	2	हाँ
14.	श्री. वेदमणी तिवारी	1	1	नहीं
15.	श्री. प्रवीण गोयल	1	1	हाँ

मण्डल को दी गई सूचनाएँ

मण्डल हर एक बैठक के पहले प्रासंगिक सूचनाओं और प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हैं जो कंपनी के कार्यों से संबंधित कई तत्वों केलिए मण्डल के विचारों केलिए आवश्यक है, विशेषकर जिसकी उच्च स्तर पर विचार करने की ज़रूरत है। समय-समय पर कार्यकारी निदेशकों द्वारा परियोजना की प्रगति पर, कानूनी अनुपालन और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर मण्डल के सामने व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं।

मण्डल प्रक्रियाएँ

कंपनी की समीक्षा, और प्रबंध निर्णयों में प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मण्डल की बैठकें लगातार अयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल ने तीन बार मिले, जैसे 24 अप्रैल 2015, 18 अगस्त 2015 और 18 जनवरी 2016.

कंपनी को मण्डल और मण्डल के उपसमिति बैठक को संभालने केलिए एक सुगठित प्रक्रिया है जिनका विवरण निम्न है:

(क) मण्डल/ मण्डल के उपसमिति बैठकों केलिए कार्यसूची की बातों की अनुसूची और चयन

मण्डल के अध्यक्ष से अनुमति मिलने के बाद उचित सूचना देने के बाद ही बैठक बुलाते हैं। यदि कोई विशेष अति आवश्यक बात हो तो बैठक अल्प कालावधि की सूचना पर भी बुलाता है। मण्डल भी प्रसार द्वारा संकल्प को पारित करते हैं लेकिन सिर्फ उन कार्यों केलिए जो अति आवश्यक हो और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमति प्राप्त हो।

- * कार्यसूची के कागजात संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा तैयार करके प्रबंध निदेशक के पास प्रस्तुत करते हैं। बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचित और ध्यान केंद्रित निर्णय लेने केलिए उचित रूप से अनुमति प्राप्त विस्तृत कार्यसूची विवरण, प्रबंधकीय रिपोर्ट और अन्य विस्तृत पृष्ठभूमि सूचना के व्यापक मतैक्य आदि पहले से ही सदस्यों में संचारित करते हैं।
- * कुछ विशेष या असाधारण परिस्थिति में अतिरिक्त या न्यूनता पूरक चीज़ों को जो कार्यसूची में नहीं है अध्यक्ष की अनुमति से निर्णय केलिए रख देते हैं।
- * मण्डल जब कभी ज़रूरत पड़ जाती है तब मुख्य घटना /बात की सूचना देते और उसकी अनुमति ले लेते। प्रबंध निदेशक मण्डल के बैठकों में कंपनी के पूरे प्रदर्शन का अवगत कराते हैं।
- * कार्यसूची के एक पक्ष के रूप में पुराने बैठकों में निदेशकों द्वारा लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा करेगी।
- * मण्डल के सदस्यों को कंपनी की पूरी सूचनाओं के बारे में पूरी तरह से पकड़ है।
- * साथ ही मण्डल के बैठक उचित सांचिविक स्तर के साथ ही अयोजित की जाती है।

(ख) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्तीकरण

मण्डल के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में प्रबंध निदेशक मण्डल के सदस्यों के सामने कंपनी के मुख्य विकास, परियोजना स्तर और कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त मुख्य उपलब्धियाँ आदि विकास से संबंधित संक्षिप्त विवरण देते हैं।

(ग) मण्डल के बैठक में कार्यवाही की कार्यवृत्त का रिकोर्डिंग

प्रत्येक मण्डल कार्यवाही को रिकॉर्ड करके कार्यसूची बही में रखते हैं। बैठक के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम 2013 और उपर्युक्त सांचिविक स्तर के अनुसार प्रसारित किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद मण्डल बैठक के कार्यवृत्त अगले बैठक में पुष्टीकरण केलिए प्रस्तुत करते हैं। मण्डल के उपसमिति बैठकों के कार्यवृत्त भी मण्डल की जानकारी केलिए सामने प्रस्तुत करते हैं।

(घ) अनुपालन

विभागाध्यक्ष को कार्यसूची तैयार करते वक्त यह सुनिश्चित करना है कि पूरा विवरण कंपनी अधिनियम 2013, एसोसियेशन और सी वी सी मार्गरेखा के प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त सांविधिक अवश्यकताओं की तरफदारी करते हैं।

कंपनी के कर्मचारी उनपर सौंपे गए कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहण करते समय कंपनी द्वारा मंजूर किये और गोद लिये आचार संहिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। वे हमेशा उच्च नैतिक स्तर और संघ के कामकाज की दिशा में योगदान देते हैं और प्रबंधक की तरफ से प्राप्त सही व समयोन्नित मार्ग निर्देश उनको अच्छे गवर्नेंस अनुभव सुनिश्चित करता है।

मण्डल की समितियाँ

मण्डल ने आठ उपसमितियों का गठन किया है जो कंपनी के आकार और काम की प्रकृति के अनुरूप है। वे हैं लेखा परीक्षा समिति, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, मानव संसाधन समिति, प्रक्रिया और रखरखाव समिति, परियोजना प्रबंध समिति, निवेश समिति, खरीदारी समिति और संपत्ति विकास समिति आदि। प्रत्येक समिति को मण्डल द्वारा मंजूर विधिवत स्पष्ट संदर्भ के वर्तनी बाहर शर्तें हैं। ये समितियाँ कंपनी की आवश्यकतानुसार समय समय पर मिलते हैं। मण्डल उपसमिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

1. लेखा परीक्षा समिति

बनावट :

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| 1. डॉ.के.एम एब्रहाम | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री.मुकुंदकुमार सिन्हा | - | सदस्य |
| 3. श्री. वी.जे.कुरियन | - | सदस्य |
| 4. डॉ.एम.जी राजमाणिकम | - | सदस्य |
| 5. श्री. प्रवीण गोयल | - | सदस्य |

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा परीक्षा समिति दिनांक 15 जुलाई 2015 और 8 दिसंबर 2015 दो बार मिले। इन बैठकों में लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा वित्त निदेशक और वे अधिकारियाँ जो समिति केलिए आवश्यक आदानों को प्रदान करते हैं, वे भी भाग लिये। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मण्डल द्वारा मंजूर किया था।

कंपनी सचिव ने लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में भी काम किया

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

सदस्यों के उपस्थिति रिकोर्ड :

क्रम सं	सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015-16 में आयोजित बैठक	बैठकों में भाग लिया
1.	डॉ.के.एम.एब्रहाम	2	2
2.	श्री.मुकुंद कुमार सिंहा	2	नहीं
3.	डॉ.एम.जी राजमाणिकम	2	1
4.	श्री.एल. नरसिंह प्रसाद	1	1
5.	श्री.वी.जे कुरियन	1	नहीं
6.	श्री. प्रवीण गोयल	1	1

2. कोरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सी एस आर)

बनावट :

1. श्री.एलियास जोर्ज - अध्यक्ष
2. श्री.मुकुंद कुमार सिंहा - सदस्य
3. श्री.एल.नरसिंह प्रसाद - सदस्य
4. श्री.एब्रहाम उम्मन - सदस्य
5. श्री.प्रवीण गोयल - सदस्य

इस वर्ष के दौरान खरीदारी समिति की कोई बैठक नहीं हुई

3. परियोजना प्रबंध समिति

बनावट:

1. श्री.एलियास जोर्ज - अध्यक्ष
2. श्री.मुकुंद कुमार सिंहा - सदस्य
3. श्री.जितेन्द्र त्यागी - सदस्य
4. श्री.एब्रहाम उम्मन - सदस्य
5. श्री.प्रवीण गोयल - सदस्य

समिति 24 सितंबर 2015 को एक बार हुई

सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड :

क्रम सं	सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015-16 में आयोजित बैठक	बैठकों में भाग लिया
1.	श्री.एलियास जोर्ज	1	1
2.	श्री. मुकुंद कुमार सिंहा	1	1
3.	श्री.जितेन्द्र त्यागी	1	1
4.	श्री.एब्रहाम उम्मन	1	1
5.	श्री.प्रवीण गोयल	1	1

4. निवेश समिति

बनावट

- | | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 1. | श्री.एलियास जोर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ.के.एम. एब्रहाम | - | सदस्य |
| 3. | श्री. वी.जे. कुरियन | - | सदस्य |
| 4. | श्री.एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 5. | श्री. प्रवीण गोयल | - | सदस्य |

इस समिति के बैठक 8 दिसंबर 2015 को हुई सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड :-

क्रम सं	सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015-16 में आयोजित बैठक	बैठकों में भाग लिया
1.	श्री.एलियास जोर्ज	1	1
2.	डॉ.के.एम. एब्रहाम	1	1
3.	श्री.वी.जे. कुरियन	1	नहीं
4.	श्री.एब्रहाम उम्मन	1	1
5.	श्री. प्रवीण गोयल	1	1

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

5. खरीदारी समिति

बनावट:

1. श्री.एलियास जोर्ज - अध्यक्ष
2. श्री जितेन्द्र त्यागी - सदस्य
3. श्री. एब्रहाम उम्मन - सदस्य
4. श्री. प्रवीण गोयल - सदस्य

इस वर्ष के दौरान खरीदारी समिति की कोई बैठक नहीं हुई

6. प्रक्रिया और रखरखाव समिति

बनावट :

1. श्री.एलियास जोर्ज - अध्यक्ष
2. डॉ.के.एम. एब्रहाम - सदस्य
3. श्री. एल. नरसिंह प्रसाद - सदस्य
4. श्री. एब्रहाम उम्मन - सदस्य
5. श्री. प्रवीण गोयल - सदस्य

प्रस्तुत समिति 22 दिसंबर 2015 को एकबार मिली

(सदस्यों के उपस्थिति रिकोर्डः)

क्रम सं	सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015-16 में आयोजित बैठक	बैठकों में भाग लिया
1.	श्री.एलियास जोर्ज	1	1
2.	डॉ.के.एम. एब्रहाम	1	नहीं
3.	श्री. एल. नरसिंह प्रसाद	1	1
4.	श्री. एब्रहाम उम्मन	1	1
5.	श्री. प्रवीण गोयल	1	1

7. संपत्ति विकास समिति

बनावट :

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---------|
| 1. | श्री.एलियास जोर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ.एम.जी.राजमाणिक्कम | - | सदस्य |
| 3. | श्री. एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 4. | श्री. प्रवीण गोयल | - | सदस्य |
| 5. | श्री. एल. नरसिंह प्रसाद | - | सदस्य |

इस वर्ष के दौरान संपत्ति विकास समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की है।

8. मानव संसाधन विकास समिति

बनावट:

- | | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 1. | श्री.एलियास जोर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री. वी.जे.कुरियन | - | सदस्य |
| 3. | श्री. एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 4. | श्री. प्रवीण गोयल | - | सदस्य |

इस समिति की बैठक 22 दिसंबर 2015 को एक बार हुई

(सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड)

क्रम सं	सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015-16 में आयोजित बैठक	बैठक में भाग लिया
1.	श्री.एलियास जोर्ज	1	1
2.	श्री. वी.जे.कुरियन	1	नहीं
3.	श्री. एब्रहाम उम्मन	1	1
4.	श्री. प्रवीण गोयल	1	1

रिपोर्ट के आज की तिथि में समितियों की बनावट से संबंधित विवरण ऊपर दिया गया है।

6. प्रकटीकरण

- (क) भौतिक रूप से महत्वपूर्ण किसी पार्टी से कोई सौदा अर्थात् उनके समर्थकों, निदेशकों या प्रबंध, नियंत्रित व्यक्तियों या बन्धुजनों आदि के साथ भौतिक प्रकृति की कंपनी के सौदे नहीं हुए हैं क्योंकि उससे व्यापक तौर पर कंपनी के हित के साथ काफी हद तक मतभेद हो सकता है।

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

(ख) किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के खिलाफ किसी जुर्माना लगाने या कटु आलोचना करने की कोई घटना नहीं हुई है।

(ग) लेखे की पुस्तकों पर ऐसा कोई व्यय खर्च के मद नहीं है जो कंपनी के कार्य व्यापार संबंधी नहीं है।

(घ) कंपनी को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद केलिए अलग अलग व्यक्ति है।

कंपनी के वेबसाइट :

कंपनी के वेबसाइट www.Kochimetro.org है। कंपनी से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएँ जिनके अंतर्गत परियोजना, करार, नौकरी की भरती कार्यक्रम आदि आ जाते हैं उसे वेबसाइट में प्रकाशित किया है।

अतिरिक्त वस्तुओं की खरीदारी और सेवा से संबंधित पूरी सूचनाओं की निविदाएँ समय समय पर वेबसाइट में प्रसारित की जाती हैं। इसके साथ साथ वेबसाइट कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के महत्वपूर्ण घटनाओं, कार्यक्रमों और विकास की सूचनाओं और अन्य विशिष्टविकास की सूचनाओं को प्रदान करते हैं और यह लगातार अद्यतन है।

पंजीकृत कार्यालय

U60100KL2011SGC029003

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, पार्क एवन्यू

कोच्ची - 682011,

फोन : +91484 2380980

फैक्स : +91484 2380686

कंपनी सचिव

बी. अनिल कुमार

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, पार्क एवन्यू

कोच्ची - 682011,

फोन : +91484 2380980

फैक्स : +91484 2380686

ईमेल : anilkumar.b@kmrl.co.in

अध्यक्ष

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
तुलन पत्र 31 मार्च 2015

राशी (लाखों में)

विवरण	नोट.सं	31 मार्च 2016 में	31 मार्च 2015 में
I. इक्विटी और देयताएँ			
(1) शेयरधारियों की निधि			
(अ) शेयर पूँजी	3	1,28,300.00	87,010.00
(आ) आरक्षित और अधिशेष	4	(2,269.84)	(287.98)
(2) शेयर आवेदन के पैसे लंबित आवंटन	5	11,223.00	5,645.00
(3) गैर मौजूदा देयताएँ			
(अ) दीर्घकालीन ऋण	6	1,60,527.00	1,14,599.00
(आ) अस्थगित कर देयताएँ	7	-	2.06
(इ) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	8	5,087.99	115.88
(ई) दीर्घकालीन प्रावधान	9	112.09	70.40
(4) चालू देयताएँ			
(अ) अल्पकालीन ऋण		-	-
(आ) व्यापार देय		-	-
(इ) अन्य चालू देयताएँ	10	15,796.03	13,339.52
(ई) अल्पकालीन प्रावधान	11	34.06	10.87
	कुल	<u>3,18,810.33</u>	<u>2,20,504.75</u>
II. आस्तियाँ			
(1) चालू रहित आस्तियाँ			
(अ) स्थाई आस्तियाँ			
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	12.ए	55,536.82	40,508.33
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12.बी	2,930.98	2,805.09
(iii) चालू पूँजीगत कार्य	13	2,00,601.76	1,05,953.76
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		7.68	93.30
(आ) चालू रहित निवेश			
(इ) दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम	14	29,550.64	31,849.28
(ई) अन्य चालू रहित परिसंपत्तियाँ	15	4,742.29	19.95
2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(अ) चालू निवेश		-	-
(आ) माल सूची		-	-
(इ) व्यापार प्राप्य		-	-
(ई) नकद व नकद समकक्ष	16	23,313.91	39,134.10
(उ) अल्पकालीन ऋण व अग्रिम	17	2,126.25	140.94
(ऊ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		-	-
	कुल	<u>3,18,810.33</u>	<u>2,20,504.75</u>
सार्थक लेखा पोलिसी	2		
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में साथ में गठित	1, 3-24		

टिप्पणी पर ध्यान दें हमारा रिपोर्ट संलग्न

के.वर्गीस & कंपनी केलिए

शासनपत्रित लेखाकार

FRN 004525S

साम वर्गीस

सहभागी

एम.नं - 216979

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19.07.2016

एलियास जोर्ज

प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19.07.2016

निदेशक मण्डल केलिए और उनकी तरफ से

एब्राहाम उम्मन

निदेशक(वित्त)

प्रवीण गोयल
निदेशक(सिस्टम्स)

बी.अनिल कुमार

कंपनी सचिव

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2016 तक समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण

विवरण	नोट नं	31 मार्च 2016 तक समाप्त वर्ष केलिए	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष केलिए
आय			
1. प्रवर्तन से राजस्व			
2. अन्य आय	18	452.26	946.55
3. कुल राजस्व (1+ 2)		452.26	946.55
4. व्यय			
(क) कर्मचारी लाभ खर्च	19	358.93	303.13
(ख) वित्तीय लागत	20	-	-
(ग) मूल्य हास परिशोधन खर्च	21	144.77	98.12
(घ) अन्य व्यय	22	1934.12	634.11
(च) पूर्व कालावधि के समझौते (कुल)	23	1.70	(180.35)
कुल व्यय		2439.52	855.01
5. विशिष्ट और असाधारण मदों पर लाभ/हानि और कर (3- 4)		(1,987.26)	91.54
6. विशिष्ट मदें (5-6)		-	-
7. असाधारण मदें और कर से पहले के लाभ/हानि (5-6)		(1,987.26)	91.54
8. असाधारण मदें		-	-
9. कर से पहले लाभ / हानि (7-8)		(1,987.26)	91.54
10. कर व्यय / लाभ		-	16.94
(क) चालू कर व्यय		-	(16.94)
(ख) (कम) : एम ए टी क्रेडिट पूर्व वर्ष के			
(ग) (कम) : एम ए टी क्रेडिट		(0.50)	-
(घ) (अल्प/अधिक) पूर्व वर्ष के कर संबंधी प्रावधान		(2.84)	(23.49)
(च) पृथक कर		(2.06)	132.90
कुल कर व्यय/लाभ		(5.40)	109.41
11. वर्ष के दौरान प्राप्त लाभ/ कमी (9-10)		1,981.86	(17.87)
12. प्रत्येक इक्विटी शेयर पर अर्जन (प्रति रु.100)			
(क) मूल		(1.98)	(0.04)
(ख) पतला किया		(1.78)	(0.03)
सार्थक लेखा पोलिसी	2		
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में साथ में गठित 1, 3-24			

टिप्पणी पर ध्यान दें हमारा रिपोर्ट संलग्न

के.वर्गीस & कंपनी केलिए

शासनपत्रित लेखाकार

FRN 004525S

निदेशक मण्डल केलिए और उनकी तरफ से

साम वर्गीस

सहभागी

एम.नं - 216979

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19.07.2016

एलियास जोर्ज

प्रबंध निदेशक

एब्रहाम उम्मन

निदेशक(वित्त)

प्रवीण गोयल

निदेशक(सिस्टम्स)

बी.अनिल कुमार

कंपनी सचिव

31 मार्च 2016 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

1. संयुक्त संस्था की सूचना

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (के एम आर एल) तक स्वतंत्र संस्था है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है। कंपनी का गठन भारत सरकार (जी ओ आई) और केरल सरकार के समान अधिकारों, शेयरों के साथ कोच्ची शहर में मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के संयुक्त उद्यम है। के एम आर एल मेट्रो नेटवर्क के विकास की गुणवत्ता, उसकी प्रक्रिया, मरम्मत आदि के साथ प्रामाणिक प्रक्रियाओं को भी सौंपता है।

महत्वपूर्ण लेखा पोलिसियाँ

2. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

(क) लेखा और वित्तीय विवरण की तैयारी भारत के सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के मिलन से होते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन लेखा मानक निर्दिष्ट के अनुसार और 2014 के साथ पढ़े गये कंपनी नियम (लेखा) के नियम 7 के अनुपालन करते हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के अधीन उपार्जन के आधार पर किया गया। वित्तीय विवरण की तैयारी में स्वीकृत लेखा पोलिसी पिछले वर्ष में अनुपालन किये पॉलिसी के साथ संगत है।

(ख) मूल्यनिरूपण का उपयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी में भारतीय जी ए पी के साथ समानता लाने केलिए अनुशासन को कुछ मूल्यनिरूपण एवं मान्यताओं को तैयार करना चाहिए जिसमें प्रतिवेदित संपत्तियों और देयताओं, इस वर्ष के दौरान हुई आय और व्यय का मूल्य निहित हो। कुछ मूल्य निरूपण को अन्यों से ज्यादा उच्च स्तर के निर्णय की ज़रूरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार शासनकर्ता लगातार मूल्य निरूपण एवं निर्णयों का मूल्यांकन करता है और उनके अनुभव एवं विश्वास के आधार पर यह मूल्यांकन भी करता है कि वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रयुक्त मूल्य निरूपण विवेकपूर्ण एवं उचित है। शायद भविष्य के परिणाम इससे भिन्न होगा और सही परिणाम और मूल्य निरूपण के बीच का अन्दर परिणाम की घोषणा करते वक्त पहचानते हैं।

(ग) रेवन्यू की मान्यता

अन्य आमदनी

- (i) जमा पर ब्याज खाते में बकाया राशी और लागू दर लेने के समय अनुपात के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
- (ii) अन्य आमदनी रसीद के आधार पर पहचाना जाता है।
- (iii) चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए राजस्व और व्यय की वस्तुएँ जो सीधे पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित नहीं हैं तो लाभ और हानि के ब्यान में राजस्व व्यय के रूप में डालता है।

(घ) स्थिर संपत्ति (प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संपत्ति)

अचल संपत्ति को ऐतिहासिक लागत, कम संचित मूल्यवान और हानि या इनमें से कुछ भी कहा जाता है। अचल संपत्ति में वसूली करों के किसी भी आयात शुल्क और अन्य करों के जाल सहित अपनी खरीदी मूल्य और इसके उपयोग के लिए परिसंपत्ति तैयार करने पर किसी भी तरह के सामान्य व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय और योग्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण आदि के कारण उधारी ब्याज आदि जब यह संपत्ति उपयोग के लिए तैयार होने के तिथि तक और किसी भी व्यापार की छूट अचल संपत्ति में शामिल है।

संक्रिय पूँजी के काम प्रगति पथ पर (सी डब्ल्यू आई पी)

तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन संपत्ति का प्रगति में मुख्य काम (सी.डब्ल्यू आई पी) के रूप में दिखाता है। निर्माण गतिविधि से सीधे जुड़े व्यय पूंजीकृत किया जाता है। परियोजना के विविध घटकों को लगाये गए सभी प्रत्यक्ष व्यय का हिसाब प्रगति में मुख्य काम के अंतर्गत रखता है। सामान्य व्यय जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हो, मगर काम के एक से ज्यादा भाग में निर्माण के समय लिया गया खर्च है तो उसको सी.डब्ल्यू आई पी के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है, वह काम पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों पर बँटवारा करते हैं।

अधीनस्थ ऋण के कारण कम अवधि के जमा पर अर्जित ब्याज कुल सी.डब्ल्यू आई पी से कटौती की जाती है। डी.एम आर सी केलिए प्रदान की गई परियोजना घन पर प्राप्त ब्याज सी.डब्ल्यू आई पी से कम करते हैं। निर्माण में प्रगति व्यय विवरण के आधार पर किया है और डी.एम आर सी द्वारा प्रदान किए गए प्रबंधन प्रमाण पत्र के एम आर एल परियोजना निदेशालय द्वारा सत्यापित किया है।

निर्माण के दौरान आमदनी से संबंधित जैसे कि अल्पकालिक जमा से प्राप्त ब्याज, इक्विटी और ब्याज मुक्त सहायक कर्ज से प्राप्त तात्कालिक निधि के लागत, निविदा विवरण की बिक्रि आदि सी.डब्ल्यू आई पी से कम किया हुआ है।

मकानों की बिक्रि, के एम आर एल के निर्माण कार्य के साथ ध्वस्त करते वक्त और निविदा बिक्रि से जो रकम प्राप्त हुआ उसे निर्माण कार्य के दौरान खर्च के रूप में समयोजित किया गया।

(च) भूमि

ज़मीदारों द्वारा सौंपा गया भूमि समूह और जिलाधीश द्वारा प्राप्त भूमि के मूल्य को कब्जा लेते समय कंपनी के नाम पर पंजीकरण के लिए इंतजार किये बिना पूंजीकृत किया है। निर्माण के लिए सौंपे गए सरकार के विभिन्न निकायों और विभागों के अंतर्गत आनेवाले भूमि का मूल्य, देय राशी और अन्य शर्तों को अभी तक अंतिम रूप नहीं देने के कारण, पूंजीकरण नहीं किया गया है। सीधे खरीदी गयी ज़मीन कंपनी के पक्ष में भूमि का पूंजीकृत है। यदि बढ़ाया बुआवजा, कुछ है तो भुगतान की वजह से निर्धारित किया जाता है। संरचनाओं के अधिग्रहणों की लागत भूमि की लागत में लगाया है।

नुकसान भरपाई और भूमि अर्जन में स्पष्टता, पुनर्वास और स्थानांतर गमन अधिनियम 2013 के अधिकारों के अनुसार रकम देय है तो बुक किया जायेगा। धरती पर संरचना के पुनर्वास का मूल्य धरती के मूल्य के रूप में दाखिला करता है।

(छ) संपत्ति की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में संपत्ति के मूल्यों की क्षति की समीक्षा करते हैं। ऐसे क्षति के कोई संकेत मौजूद है, ऐसी संपत्ति की वसूली योग्य राशी का अनुमान करते हैं और क्षति को मान्यता प्राप्त होता है। मान्यता प्राप्त क्षति नुकसान को लाभ और हानि के ब्यान में लगाया जाता है, इस साल में ऐसे बिगड़ रूप में एक परिसंपत्ति की पहचान की है।

(ज) मूल्यहास और परिशोधन

- (i) मूल्यहास का आरोप स्थाई संपत्ति पर लगाया जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अधीन निर्धारित उपयोगी जीवन संपत्ति पर आधारित है।
- (ii) 1 अप्रैल 2014 से कंपनी के वर्तमान उपयोगी संपत्ति का मूल्य निर्णय किया गया और बाकी उपयोगी जीवन पर पूरे मूल्यहास को लगाया, इसे बनाये रखने के साथ अवशिष्ट मूल्य कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के संक्रमणकालीन प्रावधानों में निहित है।
- (iii) अवशिष्ट मूल्य के 5% पूरी स्थाई संपत्ति के लिए बनाये रखा है जो अनुसूची II के प्रावधानों के साथ आ जाता है।
- (iv) रु 5000 से कम लागत में आनेवाले व्यक्तिगत संपत्तियाँ खरीदारी के वक्त खर्च के रूप में लगाया।
- (v) अमूर्त संपत्तियाँ उसके उपयोगी जीवन के सब से अच्छे अनुमान पर अधिक व्यवस्थित रूप से परिशोधित किया है।

(vi) जिस तरह से 'वे लिव' रेलवे को देते हैं उसे अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचानते हैं और पूरे 70 वर्ष की अवधी में सीधा लाइन तरीके से परिशोधित किया है।

(vii) मोबाइल फोन के उपयोग जो कार्यालय उपकरण के अधीन माना जाता है जिनकी कलावधि तीन साल के लिए अनुमानित किया है।

(झ) प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियाँ यदि भूतपूर्व घटनाओं के कारण कंपनी को वर्तमान में कुछ दायित्व है तो इन कर्तव्यों को निभाने हेतु विश्वसनीय अनुमान को तैयार करके इस सशक्त बहिर्वाह को व्यवस्थित करने का प्रावधान है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में ऐसा विवरण देता है और मौजूदा सब से अच्छा अनुमान प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजित कर रहे हैं। जब कंपनी के नियंत्रण से परे संभव दायित्व जो अतीत की घटनाओं से पैदा होती है, जिसका अस्तित्व घटना या एक या एक से अधिक अनिश्चित घटनाओं के गैर घटना से पुष्टि की जाएगी तब एक आकस्मिक देयता मान्यता प्राप्त है। अथवा यह संभवतः नहीं है कि संसाधनों की एक बहिर्वाह दायित्व व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है इसलिए एक वर्तमान दायित्व को मान्यता प्राप्त नहीं मिला है। आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय बयान में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ट) आय पर कर

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित रूप में चालू कर, कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय है। डिफर्ड कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर पर मान्यता प्राप्त है कि एक अवधि में आरंभ और एक या एक से अधिक बाद के समय उत्क्रमण के लिए सक्षम है। अनवशोषित मूल्य हास के संबंध में कर संपत्ति और घाटे में पहचानने जाते हैं कि आगे ले जाना है, अगर वहाँ आभासी निश्चितता नहीं होगी कि इस तरह के नुकसान का एहसास करने के लिए उपलब्ध पर्याप्त भविष्य योग्य कर अन्य डिफर्ड कर संपत्ति, ऐसी संपत्ति का एहसास करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय होगी कि उचित निश्चितता अगर वहाँ पहचाने जाते। डिफर कर संपत्ति की कार्यवंती होने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

(ठ) विदेशी मुद्रा लेन देन / अनुवाद (बदलना)

विदेशी मुद्रा की लेने देने कंपनी ने लेन देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवार्गित मुद्रित चीज़ों सूचित तारीख के विनिमय दरों में बदल देता है।

अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आर्थिक चीज़ के संबंध में उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा का अंतर पहले पूँजीकरण से संबंधित अचल संपत्तियाँ/ मूलधन, पूँजी प्रगति की वहन लागत को समायोजित कर रहे हैं। अन्य विनिमय जिसमें मतभेद है वे जो अवधि में आय या व्यय के रूप में माना जाता है।

(ड) कर्मचारी सुविधा

(1) भविष्य निधि और पेंशन निधि

कंपनी के योग्य कर्मचारियों को कर्मचारी और कंपनी दोनों, वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत मासिक योगदान करने पर जो भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त होगा। योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में भुगतान किया जाता है।

कर्मचारियों के पेंशन योजना भविष्य निधि योजना के साथ जुड़े हुए हैं। भविष्य निधि के अंदर आनेवाले कंपनी के सभी योग्य कर्मचारी स्वाभाविक रूप से पेंशन निधि के अंतर्गत भी आयेगा। कंपनी के जो कर्मचारी। सितंबर 2014 के बाद के सदस्य बने हों और हर महीने जिनका वेतन रु.15000/- से ज्यादा हो वे इसी एस के अंतरगत नहीं किया जा रहा है। उपर्युक्त सुविधा उस कर्मचारी को मिलेगा जो के एम आर एल में नियुक्त होते वक्त भविष्य निधि का मौजूदा सदस्य हो उपर्युक्त पेंशन निधि में कर्मचारियों से कोई योगदान इकट्ठा नहीं करते बल्कि यह नियोक्ता के योगदान से इकट्ठा करेगा।

- (2) उपदान : बीमांकिक मूल्यांकन योग्य कर्मचारियों के लिए इस वर्ष में सुविधा प्रदान की है।
- (3) अर्जित अवकाश और आधा वेतन : कंपनी कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश और आधा वेतन छुट्टियों की फायदा प्रदान करती है। इस खाते में दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
- (4) एल टी सी : कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को अपने शहर तथा भारत के किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस खाते की योग्या बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

(द) उधार लागत

उधार लागत में ब्याज, ब्याज लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाता है। इसमें एक हद तक विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होनेवाली अनुषंगी (सहायक), लागत खर्च और विनिमय मतभेद आदि शामिल है। अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित नहीं हद तक धन के उधार के सिलसिले में लागत ऋण का कार्यकाल खत्म होने पर लाभ और हानि के ब्यान में लगाया जाता है। अधीर लेने की लागत अर्हक संपत्ति के लिए आवंटित और उपयोग किया, अर्हक संपत्ति के निर्माण विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से पूँजीकरण के तिथि तक की संपत्ति ऐसी संपत्ति को परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ रहे हैं।

(त) खंड प्रतिवेदन

कंपनी के लिए सिर्फ एक ही रिपोर्ट करने योग्य व्यापार क्षेत्र है। जो विकास, कोच्ची मेट्रो प्रणाली का विकास और रखरखाव है। तदनुसार ब्यान में प्रदर्शित राशियाँ कंपनी के एकल के व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं।

(थ) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए नकद और नकद समकक्ष में बैंक में नकद, सरकारी खजाना और बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा पर नकद आदि शामिल है।

(द) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह ए एस 3 का उपयोग कर परोक्ष विधि के अनुसार रिपोर्ट करते हैं। जिससे लाभ या हानि, नकद स्वभाव का लेन देन, अतीत या भविष्य नकद प्राप्ति या भुगतान के किसी भी डिफोर्ड या अपचय के प्रभाव के लिए निकाला जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह आदि अलग उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

(थ) चालू संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

यदि साधारण व्यापार के कोर्स को पहचानना है तो वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम को तुलन पत्र में स्थित मूल्यों के आधार पर देखना होगा।

(द) प्रति शेयर आय

इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण उत्पन्न शुद्ध लाभ या हानि विभाजित करके मूल आय प्रति शेयर के रूप में गणना की जाती है। प्रति शेयर आय पतला गणना के प्रयोजन के लिए, इक्विटी शेयरधारकों और अवधि के दौरान बकाया के शेयरों की भारित औसत संख्या के कारण शुद्ध लाभ और हानि सभी पतले संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2016 तक समाप्त वित्तीय विवरण के टिप्पणी का हिस्सा

नोट नं.3 शेयर पूँजी

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
अ) अधिकृत 100 रुपए की प्रत्येक 200,00,000 सामान्य शेयरें (पिछले वर्ष 100 रुपए प्रत्येक 200,00,000 सामान्य शेयरें)	2,00,000.00	2,00,000.00
आ) ज्ञारी, अभिदत्त और पूरी तरह से प्रदत्त 100 रुपए की प्रत्येक 12,83,00,000 सामान्य शेयरें (पिछले वर्ष में 100 रुपए प्रत्येक 8,70,10,000 इक्विटि शेयरें)	1,28,300.00	87,010.00

3.1 रिपोर्टधीन अवधि की शुरुआत और

अंत में बकाया शेयरों की सुलह

विवरण	31 मार्च 2016		31 मार्च 2015	
	शेयरों की संख्या	राशी (लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशी (लाखों में)
साल की शुरुआत में	8,70,10,000	87,010.00	2,15,00,000	21,500.00
वर्ष के दौरान आबंटित	4,12,90,000	41,290.00	6,55,10,000	65,510.00
वर्ष के अंत में बकाया	12,83,00,000	1,28,300.00	8,70,10,000	87,010.00

3.2 कंपनी 100 रुपए प्रति शेयर के सममूल्य वाले इक्विटि शेयरों का एक वर्ग है। प्रत्येक शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और कंपनी के बैठक में प्रति शेयर वोट देने के लिए भी हकदार हैं। परिसमापन की स्थिति में इक्विटि शेयरधारक भी कोई हो, सभी नरजी हो राशी के विवरण के बाद उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने योग्य है।

3.3 कंपनी के 5 प्रतिशत से ज्यादा शेयरों धारण किये गए हर शेयरधारक

शेयरधारक के नाम	इक्विटि शेयर 31.03.2016 तक		इक्विटि शेयर 31.03.2015 तक	
	शेयरों की संख्या	धारण की प्रतिशत संख्या	शेयरों की संख्या	धारण की प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	6,41,50,000	50	4,35,05,000	50
केरल के राज्यपाल	6,41,50,000	50	4,35,05,000	50

ANNUAL REPORT

— 2015-2016 —

नोट 4 आरक्षित निधि और अधिशेष

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(अ) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
प्रारंभिक जमा	(287.98)	(270.11)
वर्ष के लिए अतिरिक्त	(1981.86)	(17.87)
लाभ/ हानि	<hr/>	<hr/>
रोकड बाकी	<hr/> (2269.84)	<hr/> (287.98)

नोट 5 शेयर आवेदन पैसे प्राप्त, लंबित आबंटन

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
शेयर आवेदन पैसे प्राप्त, लंबित आबंटन		
(अ) भारत के राष्ट्रपति	11,223.00	-
(आ) भारत के राज्यपाल	<hr/> -	<hr/> 5,645.00
	<hr/> 11,223.00	<hr/> 5,645.00

- 5.1 कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, भारत सरकार (जी ओ आई) और केरल सरकार (जी ओ के) द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 50 के हिसाब से इक्विटी शेयर दोनों सरकार के पकड़ में है। इक्विटी योगदान, चरणों में और सरकारों का बराबर हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए जारी किया जा रहा है, शेयर आवेदन के पैसे अन्य सरकारों के मिलन योगदान प्राप्त होने तक अतिरिक्त विज्ञाप्ति आयोजित की जाती है। इस प्रकार मेल खाते योगदान प्राप्त होने के तुरंत बाद बोर्ड बैठक के बाद शेयर आबंटन किया जाएगा।
- 5.2 सममूल्य रूपए 100 पर प्रत्येक के इक्विटी शेयरों के मौजूदा शेयरों के समान सभी योग्य शेयरधारकों के लिए जारी किया जाएगा, दोनों सरकार की इक्विटी धारिता का अनुपात बराबर है कि इस तरह के तरीके से जारी किए गए हैं।
- 5.3 कंपनी को शेयर आवेदन के पैसे के खिलाफ शेयरों के आबंटन से उत्पन्न शेयर पूँजी राशी को पार करने के लिए पर्याप्त अधिकृत शेयर पूँजी है।

31 मार्च 2016 तक समाप्त वित्तीय विवरण के टिप्पणी का हिस्सा

नोट 6 दीर्घकालिक उधार

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) लम्बी अवधी के उधार (सुरक्षित)		
(1) सहायक द्वारा पारित	42643.00	16179.00
भारत सरकार		
(2) केनरा बैंक	25000.00	22000.00

(3)	एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक	36600.00	36600.00
(4)	एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक (वाइटिट्ला पेट्टा और भूमि अर्जन)	10400.00	-
(ख)	ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (असुरक्षित)		
(1)	भारत सरकार	15,259.00	9,195.00
(2)	केरल सरकार	30,625.00	30,625.00
		<hr/> <u>1,60,527.00</u>	<hr/> <u>1,14,599.00</u>

6.1 भारत सरकार द्वारा एजेंसी फ्रांजेसी डी विकास के बीच प्राप्त क्रेडिट दायित्व समझौते के आधार पर सहायता के माध्यम से पारित करने की प्रावधान है एक फ्रेंच पब्लिक निधीयन एजेंसी और भारत सरकार इसका उधार लेनेवाले हैं। भारत सरकार के संप्रभु गरंटी द्वारा उधार सुरक्षित है। भारत सरकार के उचित प्रावधानों के अनुसार ऋण कई भागों में विभाजित है। इसके सूद मूल्य छः महीने में बदल जायेगा और उसका मार्जिन 155 तक रहेगा। प्रत्येक वर्ष में 15 मार्च और 15 सितंबर नियत तारीख होगी। पूँजी रकम को वापस भरने के लिए अधिस्थगत अवधि के बाद पाँच वर्ष के अंदर 40 समतुल्य किश्तों में छः महीने में कर सकते हैं। प्रथम किश्त की नियत तारीख 15 सितंबर 2019 और अंतिम किश्त 15 मार्च 2039 होगी। इस वर्ष के दौरान कंपनी को रु.264.64 करोड रुपए भारत सरकार की सहायता के माध्यम से पारित होकर मिल चुके हैं। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने सूद के रूप में 4.51 करोड रुपए भारत सरकार को भर दिया है।

6.2 पूर्व वर्ष में कंपनी ने केनरा बैंक के साथ रु 1,170 करोड के लिए अवधि ऋण का समझौता किया था। पूँजी नकद को वापस भरने का अधिस्थगत अवधि जून 2020 तक है। ऋण तीन महीने में 52 समतुल्य किश्तों के रूप में भरना है और यह वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होगी। केनरा बैंक के उपर्युक्त नकद की आधार दर 0.60% सूद मूल्य है, और कंपनी की पूरी संपत्तियों पर समरूप प्रभार से मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि और सुरक्षा होगी। वर्ष के दौरान कंपनी ने 30 करोड रुपए निकाल दिया और 24.82 करोड सूद भी चुका लिया।

6.3 शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के वाइड आदे न.के -14011/37/2005- एम आर टी एस IV दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुसार कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की अनुमति लेते वक्त सूचित किया था कि भूमि अर्जन के मूल्य 672 करोड रुपए केरल सरकार के सूद मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन इसके विपरीत केरल सरकार ने 31 मार्च 2016 तक सिर्फ 306.25 करोड ही दिये हैं। बाकी नकद के लिए केरल सरकार ने यही निर्णय लिया कि केरल सरकार केलिए के एम आर एल उधार ले और बाकी उपऋण की देन की प्रावधान केरल सरकार देंगी। केरल सरकार के वाइड आदेश नं.20/2015/ ट्रान्स दिनांक 25.03.2015 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की दिशा में एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से 366 करोड रुपए अवधि उधार लेने की अनुमति दी है। तदनुसार कंपनी ने एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक के साथ अवधि ऋण लेने की अनुमति मण्डल के 19 वाँ बैठक में ली है। उधार के कुल कार्यकाल 12 वर्ष होंगे उनमें 2 साल अधिस्थगत अवधि होगी बाकी 10 सालों में वार्षिक भुगतान के रूप में वापस भरना है। सूद मूल्य स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के सूद से 0.05% कम है। प्रत्येक 3 सालों में सूद मूल्य में परिवर्तन आयेगा सूद के साथ ऋण वापस भरने का कार्य केरल सरकार ने शुरू कर दिया है।

ANNUAL REPORT

— 2015-2016 —

कंपनी ने पूर्व वर्ष 2014-15 में पूरे ऋण का नकद 366 करोड रुपए केरल सरकार के निर्देशानुसार ले लिया।

केरल सरकार के वाइड आदेश नं 24/2015 ट्रान्स दिनांक 30.04.2015 के अनुसार वाइट्रिटला - पेट्रा सड़क के विस्तार की दिशा में एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से 104 करोड रुपए अवधि उधार लेने की अनुमति दी है। तदनुसार कंपनी ने एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक के साथ अवधि ऋण लेने की अनुमति मण्डल के 19 वाँ बैठक में ली है। उधार के कुल कार्यकाल 12 वर्ष होंगे और उनमें 2 साल अधिस्थगत अवधि होगी बाकी 10 सालों में वर्षिक भुगतान के रूप में वापस भरना है। सूद मूल्य स्टेट बैंक आफ इंडिया के सूद से 0.05% कम है। प्रत्येक 3 सालों में सूद मूल्य में परिवर्तन आयेगा। सूद के साथ ऋण वापस भरने का कार्य केरल सरकार ने शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस वर्ष में पूरे ऋण 104 करोड रुपए केरल सरकार के निर्देशानुसार ले लिया।

- 6.4 अनुमोदन सं के - 14011 / 37 / 2005 - एम आर टी एस - IV दिनांक 12 जुलाइ 2012 में कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना केलिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कुल परियोजना लागत में शामिल केंद्रित करों का हिस्सा भारत सरकार और केरल सरकार ने समान रूप से लिया है। ब्याज मुक्त राशी उप तालमेल ऋण के रूप में जारी किया जायेगा। भारत सरकार और केरल सरकार दोनों का शेयर 248.50 करोड हो जायेगी। उसी आदेश के अनुसार इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत अनुमान 672 करोड रुपए भी ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- 6.5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से कंपनी को केंद्रीय कर की दिशा में ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में 60.64 करोड रुपए प्राप्त हुआ।
- 6.6 अधीनस्थ ऋण वरिष्ठ अवधि की अद्यगी के बाद प्रतिदेय है। चुकौती अनुसूची और इन ऋणों की अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार और केरल सरकार ज़ारी किए जानेवाले हैं।

31 मार्च 2016 तक समाप्त वित्तीय विवरण के टिप्पणी का हिस्सा

नोट नं - 7 अस्थगित कर देयताएँ

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
(क) अस्थगित कर देयताएँ स्थिर देयताओं के बुक अथशेष और कर अथ शेष का अंतर	(2.06)	(141.97)
(ख) अस्थगित कर संपत्तियाँ स्थिर संपत्तियों के बुक अथशेष और कर अथ शेष का अंतर अस्वीकार मूल्यहास और हानि	2.06	139.91
अस्थगित कर (देयताएँ) संपत्तियाँ	-	-
कुल	-	(2.06)

नोट नं. 8 अन्य दीर्घकालिक देयताएँ

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) अवधारण	114.00	95.93
(ख) एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक के उधार पर ब्याज	4742.28	-
(ग) सब्सिडी प्राप्त	144.00	-
(घ) अन्य	87.71	19.95
	<hr/> <u>5087.99</u>	<hr/> <u>115.88</u>

नोट नं 9 दीर्घकालीन प्रावधान

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान		
(i) दान के लिए प्रावधान	28.55	17.06
(ii) अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	50.87	33.71
(iii) आधा वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान	28.35	19.63
(iv) छुट्टी यात्रा रियायत की प्रावधान	4.32	-
	<hr/> <u>112.09</u>	<hr/> <u>7.40</u>

ANNUAL REPORT

— 2015-2016 —

नोट नं. 10 अन्य चालू देयताएँ

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) सूद प्राप्त लेकिन उधार नियत नहीं	114.87	81.64
(ख) अन्य देनदारियाँ		
(i) सांविधिक भुगतान	70.53	17.26
(ii) व्यापार / प्राप्त सुरक्षा जमा	244.67	136.27
(iii) भूमि अर्जन & संरचना		
मूल्यांकन	9267.83	6773.27
(iv) अन्य		
1. परियोजना से संबंधित देयताएँ	3463.11	4294.61
2. केरल रोड निधि बोर्ड	-	1471.79
3. केरल सरकार	1761.26	376.06
4. सड़क काम	149.30	-
5. प्रारंभिक काम	355.89	-
6. अन्य	368.57	188.62
	<u>15,796.03</u>	<u>13,339.52</u>

नोट नं - 11 अल्पकालीन प्रावधान

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) कर्मचारियों के लाभ का प्रावधान		
(i) उपदान के लिए प्रावधान	0.34	0.14
(ii) अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	15.51	6.98
(iii) आधा वेतन के लिए	13.47	3.75
(iv) छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	4.74	-
	<u>34.06</u>	<u>10.87</u>

31 मार्च 2016 तक समाप्त वित्तीय विवरण के टिप्पणी का हिस्सा स्थाई संपत्तियाँ

नोट 12 अ) स्थाई संपत्तियाँ

विवरण	1.4.2015 तक के शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त/ समझौता	वर्ष के दौरान कटौती/ समझौता	31.3.2016 तक के शेष	1.4.2015 तक के शेष	इस वर्ष के मूल्यहास/ ऋणमुक्ति	अतिरिक्त/ अन्य समझौते	बेची गई संपत्ति पर समझौता/ समायोजित	31.3.2016 तक के जमा हुआ मूल्यहास	31.3.2016 तक के शेष	राशी (लाखों में)
प्रीहोलड धरती कंप्यूटर्स	40,190.09	150,055.89	-	55,245.98	-	-	-	-	-	55,245.98	40,190.19
बिजली अप्लाइस्ट	72.37	14.55	2.74	84.18	43.24	14.71	-	1.54	56.41	27.77	29.14
बिजली उपकरण	33.51	3.39	0.22	36.68	3.94	3.41	-	0.01	7.34	29.34	29.57
बिजली स्थापना	7.52	-	-	7.52	1.63	0.82	-	-	2.45	5.07	5.89
आग उपकरण	100.67	0.20	-	100.87	16.38	10.33	-	-	26.71	74.16	84.28
फर्नीचर और जुड़नार	150.40	8.06	-	0.51	0.51	-	-	-	0.51	-	-
कार्यालय उपकरण	39.39	6.99	3.01	43.37	13.25	10.43	-	-	42.00	116.46	123.42
वाहन	24.68	-	-	24.68	4.88	3.01	-	-	1.56	22.12	21.25
	40,619.14	15,089.08	5.97	55,702.25	110.81	57.73	-	3.11	165.43	55,536.82	40,508.33
पूर्व वर्ष	12,064.47	28,560.64	5.97	40,619.14	41.28	69.76	1.75	1.97	110.81	40,508.33	

नोट 12 आ) अस्पष्ट स्थाई संपत्तियाँ

सोपटवेर	68.34	151.33	-	219.67	24.02	40.30	-	-	64.32	155.35	44.32
ब्रॉडिंग कोच्ची मेट्रो	-	61.60	-	61.60	-	7.09	-	-	7.09	54.51	-
रेलवे को बे लीव चार्जेस	2,776.22	-	-	2,776.22	15.45	39.65	-	-	55.10	2,721.12	2,760.77
कुल	2,844.56	212.93	-	3,057.49	39.47	87.04	-	-	126.51	2,930.98	2,805.09
पूर्व वर्ष	40.22	2,804.34	-	2,844.56	11.11	28.36	-	-	39.47	2,805.09	

टिप्पणी :

- 12.1 कंपनी 31 मार्च 2016 तक 30.65 हेक्टर प्राइवेट भूमि (पूर्व वर्ष 27.42 हेक्टर) कब्जे में ले लिया।
- 12.2 पूँजीकृत मूल्य मालिकों और जिला स्तर खरीदी समिति के बीच खरीदी मूल्य के रूप में सहमति प्राप्त की है। कंपनी ने इन शुल्क की छूट के लिए केरल सरकार से संपर्क किया तब से पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क पर ज्यादा विचार नहीं दे रहा है। केरल सरकार ने आदेश नं. जी.ओ(पी) नं. 164/2014/TD/2353 &2354 दिनांक 25 सितंबर 2014 के अनुसार उक्त राशी को छूट दिया है।
- 12.3 कंपनी के नाम भूमि का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
- 12.4 विभिन्न सरकारी निकायों/विभागों से जुड़कर 4.03 हेक्टर भूमि में मेट्रो का काम एक हद तक चल रहा है। कीमत की लंबित अंतिम रूप, स्थानांतरण औपचारिकताओं और अन्य वस्तुओं एवं स्थितियों आदि स्थाई संपत्तियों में शामिल नहीं होगा।
- 12.5 केरल सरकार वाइट (एम एस) नं.91/13/आर डी दिनांक 12.3.2013 के अनुसार 17.315 एकड़ ज़मीन को आवंटित किया है जो केरल सार्वजनिक काम विभाग के अधिकार में है उसे संपत्ति विकास कार्यक्रम के लिए के एम आर एल को दिया है। इनके खरीदी मूल्य स्थिर संपत्तियों में नहीं जोड़ा गया है अभी तक उसे के एम आर एल के रजिस्ट्री में नहीं जोड़ा गया है। अतः इस पर अधिकार नहीं लिया है।
- 12.6 कंपनी ने रेलवे की धरती पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के वाहिनी के माध्यम के निर्माण काम के लिए दक्षिण रेलवे को वे लीब चार्जस के रूप में 2014-15 के वित्तीय वर्ष के दौरान 27.76 करोड़ रुपए भुगतान किया है। प्रारंभिक समय 35 वर्ष के लिए एक मुश्त रकम भुगतान के लिए अनुमति ले लिया जो भूमि के वर्तमान बाज़ार मूल्य 99% के समतुल्य है। उसके कार्यकाल वार्षिक रूप में नोमिनल शुल्क के भुगतान के साथ आगे 35 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। वह रकम अस्पष्ट संपत्तियों में और 70 वर्ष के लिए ऋणमुक्ति के रूप में दिखाई। रेलवे के साथ इसकी समझौता कार्यान्वित किया है।
- 12.7 मोबाइल फोन पर विचार करें तो कार्यालय उपकरण के अंतर्गत है और इसका उपयोगी जीवन का ढाँचा तीन वर्ष के लिए किया है।

31 मार्च 2016 तक समाप्त वित्तीय विवरण के टिप्पणी का हिस्सा

नोट .13 पूँजी काम का प्रगति

(राशी लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना	1,99,812.61	1,05,296.51
फेस-I		
(ख) फेस-II (विस्तार)	789.15	657.25
	<u>2,00,601.76</u>	<u>1,05,953.76</u>

नोट नं. 14 दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम

(राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) पूँजी अग्रिम (असुरक्षित और सहीमाना गया)		
(i) दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन केलिए अग्रिम	18,125.31	17,536.44
(ii) जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण	4,678.59	13,783.74
(iii) जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण (पेट्टा विकास)	6,000.00	-
(ख) सुरक्षा जमा (असुरक्षित और सही माना गया)		
(i) फोन जमा	0.61	0.41
(ii) सुरक्षा जमा	86.54	31.99
(iii) सुरक्षा जमा - कर्मस्थल का निर्माण	310.98	310.98
(iv) मामूली शुल्क - दक्षिण रेलवे	68.15	70.18
(v) साइनेज बोर्ड	119.07	45.73
(ग) कराधान (कुल प्रावधान	161.39	69.81
	<u>29,550.64</u>	<u>31,849.28</u>

नोट - 15 अन्य अचालू संपत्तियाँ

(राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) केरल सरकार से प्राप्त		
(इ) डी सी उधार पर ब्याज)	4,742.28	19.95
(ख) अन्य	0.01	-
	<u>4,742.29</u>	<u>19.95</u>

15.1 केरल सरकार के जी.ओ (एम एस) नं20/2015 ट्रान्स दिनांक 25.03.2015 के अनुसार केरल सरकार से इडी सी ऋण के ब्याज लिया है।

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

नोट 16. नकद और नकद समकक्ष

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) बैंक में अथशेष (चालू खाते में)	1,360.39	85.10
(ख) उप कोषगृह के खाते में	21,368.70	37,500.70
(ग) नियम जमा (12 महीने से ज्यादा प्रौढ़ता)	584.32	1,547.81
(घ) बैंक के साथ निर्धारित	0.50	0.50
शेष राशी	<u><u>23,313.91</u></u>	<u><u>39,134.10</u></u>

नोट 17. अल्पकालीन नियत ऋण और अग्रिम

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) अन्य (असुरक्षित और सही माना गया)		
(i) पूर्वदत्त व्यय	251.49	104.01
(ii) सूद का लाभ	2.90	2.08
(iii) यात्रा अग्रिम	0.54	1.55
(iv) अन्य कर्मचारी अग्रिम	2.95	2.84
(v) काम जमा	15.51	-
(vi) सरकारी प्राधिकारियों के साथ		
शेष राशी	0.77	-
(vii) केरल सरकार से प्राप्त		
प्रारंभिक काम	1,815.19	-
(viii) अन्य	36.90	30.47
	<u><u>2126.25</u></u>	<u><u>140.94</u></u>

31 मार्च 2016 तक समाप्त वित्तीय विवरण का हिस्सा

नोट 18. अन्य आय

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) बैंक जमा का सूद	350.09	519.74
(ख) अन्य गैर ऑपरेटिव आय में शामिल	102.17	426.81
	452.26	946.55

18.1 अन्य गैर ऑपरेटिव आय में शामिल

(i) आवेदन/निविदा शुल्क	5.06	25.29
(ii) संपत्तियों की बिक्रि से प्राप्त	0.01	-
(iii) आयकर धनवापसी का सूद	0.58	2.82
(iv) अन्य आय - डी एम आर सी	96.52	398.38
(v) परिसमापन हर्जाना	-	0.09
(vi) अन्य	-	0.23

नोट नं. 19 कर्मचारियों के लाभ खर्च

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) वेतन और मजदूरी	257.15	219.03
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में दान	23.37	18.77
(ग) उपादान खर्च	4.68	4.21
(घ) कर्मचारी कल्याण खर्च	73.73	61.12
	358.93	303.13

नोट नं. 20 वित्तीय मूल्य

विवरण	31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2015 तक		
	कुल ब्याज (अ)	निर्माण कार्यक्रमों के दौरान खर्च (आ)	पी एल केलिए कुल स्थानांतरण (अ-आ)	कुल ब्याज (अ)	निर्माण कार्यक्रमों के दौरान खर्च (आ)	पी एल केलिए कुल स्थानांतरण (अ-आ)
(क) सहायता के माध्यम से पारित ब्याज भारत सरकार	471.97	471.97	-	88.69	88.69	-
	2566.30	2566.30	-	129.61	129.61	-
	3038.27	3038.27	-	218.30	218.30	-

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

नोट नं. 21 मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(क) स्पष्ट आस्तियाँ	57.73	69.76
(ख) अस्पष्ट आस्तियाँ	87.04	28.36
	<hr/> <u>144.77</u>	<hr/> <u>98.12</u>

नोट 22. अन्य व्यय

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
(1) विज्ञापन	37.54	25.84
(2) बिजली और ईंधन	11.16	23.49
(3) किराया, मूल्य और कर	43.93	31.63
(4) मरम्मत और रखरखाव	28.07	10.11
(5) बीमा	0.51	0.58
(6) यात्रा और वाहन	102.47	82.29
(7) मुद्रण और लेखन सामग्री	11.43	11.64
(8) आयोजन और पदोन्नती	36.97	10.30
(9) कानूनी और पेशेवर	117.04	31.40
(10) लेखा परीक्षकों के वेतन	4.76	4.06
(11) स्थाई संपत्तियों की बिक्रि में हानि	0.15	0.26
(12) कार्यालय व्यय	97.19	77.92
(13) साइनेज बोर्ड	20.99	5.99
(14) रोड का काम	1,221.23	219.76
(15) बैंक चार्ज	47.29	9.03
(16) दान	-	7.50
(17) समूह मीडिया और अनुभूति प्रबंधन	54.38	49.24
(18) भरती / यात्रा व्यय	4.20	-
(19) पौधा लगाने का व्यय	53.88	5.42
(20) अन्य व्यय	40.93	27.65
	<hr/> <u>1,934.12</u>	<hr/> <u>634.11</u>

22.1 लेखा परीक्षकों को वेतन

1. लेखा परीक्षा शुल्क (सेवा कर के साथ)	3.48	2.99
2. अन्य सेवा	0.68	0.57
3. व्यय की अदायगी	0.60	0.50

नोट नं. 23 पूर्व अवधि समझौता

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
1. डीएम आर सी से अन्य आय	-	(123.70)
2. सर्वे व्यय और वापसी	-	(9.81)
3. आय सूद	-	(46.84)
4. संपत्तियों की बिक्री में हानि	0.98	-
5. अन्य व्यय	1.02	-
6. अतिरिक्त मूल्यहास लिखित/(बैंक)	(0.30)	-
पूर्व अवधि व्यय/ (आय) कुल	1.70	(180.35)

नोट नं 24 वित्तीय विवरण की अतिरिक्त सूचना

1. विदेशी मुद्रा का व्यय

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष
दौरा और यात्राएँ	28.01	8.11
डी एम आर सी द्वारा करार व्यय (निम्न टिप्पणी पर ध्यान दें)	9640.74	6169.19

पूँजी व्यय को डी एम आर सी द्वारा विदेशी मुद्रा में खर्च करते हैं जब कि नकद विवरण और भुगतान के एम आर एल द्वारा भारतीय मुद्रा में करते हैं।

2. पूँजी काम की प्रगति (सी डब्ल्यू आई पी)

पूँजी संपत्ति के निर्माण यानि के मेट्रो रेल सिस्टम प्रगति पथ पर है। दिनांक 23 मई 2013 को हुई समझौते के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कोरपेरेशन लिमिटेड परियोजना से संबंधित पूरा काम करेगा और सिस्टम का उद्घाटन करेगा। 31 मार्च 2016 के अनुसार डी.एम आर सी द्वारा दी गई निधि विवरण के आधार पर डब्ल्यू आई पी ने नकद बुक का रिकोड किया है।

इमारतों और निर्माण के लिए ध्वस्त अन्य संरचनाओं की आय की बिक्री ऐसी संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत से कम कररहे हैं। इसलिए रिपोर्टधीन वर्ष काम किये गये राशी 0.81 करोड है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में डी एम आर सी का क्रियान्वयन शुल्क राशी रु.64.64 करोड को पूँजीकरण लंबित निर्माण दौरान खर्च के रूप में डब्ल्यू आई पी के एंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डी एम आर सी के साथ हुई समझौते के अनुसार परियोजना के मूल्य अग्रिम के रूप में भुगतान किया है। इस निधि के जमा करने से जो ब्याज मिला वह सी डब्ल्यू आई पी से कम कर दिया। अतः इस वर्ष में 7.65 करोड रुपए का ब्याज के रूप में हिसाब किया है। इसके साथ डी एम आर सी द्वारा निविदा बिक्री से प्राप्त नकद भी सी डब्ल्यू आई पी से कम किया। अतः इस वर्ष के दौरान 0.13 करोड रुपए (आज दिनांक तक 0.55 करोड का हिसाब रुपए) दिखाया है।

एजेन्स फ्रांकेस डी विकास ऋण की सहायता के माध्यम से पारित अल्पकालीन जमा से प्राप्त ब्याज लेखांकन स्तर (ए एस) 16 के अनुसार सी डब्ल्यू आई पी से कम किया है अतः उधार लिये लागत राशी 5.62 करोड है।

केरल सरकार के वाइड सरकारी आदेश नं 72/2015/ट्रान्स दिनांक 16 नवंबर 2015 के प्रशासनिक अनुमति के आधार पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कावकनाड तक 11.2 कि.मी का एक नया मेट्रो लेन बनाने की अनुमति मिली जिनका अनुमानित लागत रु. 2024 करोड़ है। यह परियोजना भारत सरकार की अनुमति केलिए रखा गया है। परियोजना रिपोर्ट के विस्तृत नकद व्यय और के एम आर एल द्वारा तैयार किये परिवहन अध्ययन सी डब्ल्यू आइ पी के फेस II में समूह में दिया है।

3. प्रांभिक काम

केरल सरकार के आदेश नं 34/2010 दिनांक 19.3.2010 के अनुसार डी एम आर सी द्वारा शुरू किए गए प्रारंभिक काम का अनुमानित लागत रु.242.47 करोड़ है। इन संपत्तियों की मौलिक अधिकार केरल सरकार के पास है। कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड(के एम आर एल) के निर्माण के बाद कामों के लिए इन निधियों को के एम आर एल द्वारा दिया गया है और इसलिए इसके पूरे लेखे का व्यय केरल सरकार से प्राप्त निधि की दिशा में लगा दिया।

केरल सरकार से प्राप्त निधि डी एम आर सी को उनकी मांग के अनुसार दिया जायेगा। इन निधियों के अलावा डी एम आर सी द्वारा 31 मार्च 2016 तक के कुल व्यय 126.86 करोड़ रुपए है (पूर्व वर्ष में रु.84.16 करोड़) इस काम केलिए के एम आर एल ने डी एम आर सी को 96.20 करोड़ रुपए तबादला करके दे दिया।

2015-16 के वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना लागत के 6% प्रारंभिक कामों के वेतन के रूप में 7.98 करोड़ रुपए का दावा किया है।

4. सिटी सड़क के विकास काम

मण्डल के निदेशक के 18 वाँ बैठक जो 16 सितंबर 2014 संपन्न हुई थी उसमें परियोजना के क्षेत्र में धमनी सड़क के विकास के लिए अनुति ले लिया और इसके लिए अनुमानित लागत 31.10 करोड़ रुपए है ऐसा नियम है कि इसके खर्च के 50% नकद केरल सरकार द्वारा निकालेंगे। सरकार आदेश नं 14/2015/पी एल जी दिनांक 28.02.2015 के अनुसार केरल सरकार ने सिटी सड़कों के विकास केलिए 15.55 करोड़ रुपए की अनुमति दी थी राशी रु.22.27 करोड़ (पूर्व वर्ष रु.439 करोड़) और रु.11.13 करोड़(पूर्व वर्ष में 2.19 करोड़) रुपए केरल सरकार से प्राप्त निधि के खिलाफ किया है। बाकी व्यय रेवन्यू पर होगा। ये संपत्तियाँ के एम आर एल के नहीं हैं। रखरखाव का काम मेट्रो का काम चलते वक्त पूरे परिवहन को स्वच्छ एवं सुखमय तरीके से ले चलने के उद्देश्य से किया है। इस काम केलिए केरल सरकार ने 15.55 करोड़ रुपए निकाल दिया है।

5. इडप्पल्लि फ्लाई ओवर

केरल सरकार के आदेश संख्या (आर.टी) संख्या 714/2013 पी डब्ल्यू डी दिनांक 13.5.2013 के अनुसार मेट्रो रेल पुल के निर्माण के साथ-साथ डी एम आर सी के माध्यम से के एम आर एल को अनुमानित लागत 108.77 करोड़ रुपए के इडप्पल्लि फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य सौंपा गया है। इस के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में केरल सड़क निधि मण्डल (के आर एफ बी) 25 करोड़ रुपए के एम आर एल को दे दिया। जो भी हो एम ओ यु ने निष्पादन की अवधि का वर्णन किया जो 23 मार्च 2016 था यानि की तुलनपत्र की तारीख के बाद।

फ्लाई ओवर निर्माण के लिए के एम आर एल ने पूरे खर्च के रूप में डी एम आर सी को रु.23.30 करोड़ रुपए दिए जिसमें सभी निधि आ जाते हैं कुल 20.83 करोड़ रुपए वृद्धि केलिए दे दिया। उक्त काम की खर्च के लिए के आर एफ बी ने निधि में से मुलाकात की अवधि का भी प्रावधान किया गया। डी एम आर सी ने इडप्पल्लि फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए 31 मार्च 2016 तक 23.26 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं।

6. पच्चालम रेल ओवर ब्रिड्ज (आर ओ बी)

केरल सरकार के आदेश सं जी.ओ (एम एस) नं 23/2014 ट्रान्स दिनांक 05/03/2014 के अनुसार पच्चालम के निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाने, डी एम आर सी के द्वारा आलुवा-पेट्टा के सिविल कार्य को चलते वक्त यातायात ब्लॉक कम करने केलिए सौंपा गया। इसके लिए

अनुमति प्राप्त लागत 52.59 करोड रुपए भी सौंपा गया। केरल सरकार ने के एम आर एल को इस काम के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु.25 करोड(रु 10 करोड भूमि अधिग्रहण और रु.15 करोड अन्य काम) दिये गए। सरकार आदेश नं 43/2015 ट्रान्स दिनांक 23/07/2015 के अनुसार रु.7 करोड भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधीश को और रु.14.83 करोड डी एम आर सी को उक्त काम के लिए सौंपा गया। डी एम आर सी ने रेलवे ओवर बिड्ज के निर्माण केलिए 31 मार्च 2016 तक 17.51 करोड रुपए खर्च किए।

7. वैट्रिला-पेट्रा सड़क के विस्तार

सरकारी आदेश नं जी.ओ(एम एस) नं 22/2014 ट्रान्स दिनांक 04/03/2014 के प्रशासनिक अनुमति के अनुसार अनुमानित लागत रु.120 करोड रुपए में वैट्रिला-पेट्रा सड़क का विस्तार बढ़ाने का काम शुरू किया। बल्कि भूमि अधिग्रहण की थोड़ा विलम्ब और के एम आर एल के निवेदन के अनुसार सरकारी आदेश सं.जी ओ (एम एस) नं 13/2015/ट्रान्स दिनांक 10/03/2015 के प्रशासनिक अनुमति के अनुसार वैट्रिल-पेट्रा सड़क कुन्नरा पार्क से पेट्रा तक 1.5 कि.मी विस्तार बढ़ाने की योजना तैयार किया है। सरकार ने इसके निर्माण कार्य केलिए 22.35 करोड रुपए निकाल दिया और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान के एम आर एल ने 7.74 करोड रुपए खर्च भी किया।

सरकारी आदेश जी ओ (एम एस) ने 24/2015 ट्रान्स दिनांक 30.04.2015 के अनुसार वैट्रिला - पेट्रा रोड की विस्तृति करने भूमि अधिग्रहण के लिए एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से रु.104 करोड की अवधि ऋण लेने की अनुमति प्रदान की। उसके अनुसार कंपनी ने एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक के साथ अवधि ऋण का समझौता कर लिया इसकी अनुमति 9 मई 2014 में संपन्न मण्डल के बैठक में प्राप्त की।

इस वर्ष के दौरान एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से निकाले निधि से बाहर 60 करोड रुपए जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण और सड़क के विस्तार के काम की दिशा में स्थानांतरित करके दे दिया।

8. समाकलित जल परिवहन व्यवस्था

सरकारी आदेश जी.ओ(एम एस) नं 73/2015/ट्रान्स दिनांक 19/11/2015 के अनुसार कोच्ची में अनुमानित लागत 682.01 करोड रुपए में समाकलित जल परिवहन व्यवस्था की अनुमति प्रदान की है। इस परियोजना के लिए नकद की सहायता इन्डो जेरमन बिलेटरल कोरपोरेशन के अधीन जरमन निधि ऐजेन्सी दे रहे हैं जिनका नाम क्रिडिटानस्टॉलट फर वियेडेशेफबाउ (के एस डब्लियू) है। इसका प्रारंभिक भाग क्लाइमट फ्रांडिली अरबन मोबिलिटी और शेष केरल सरकार द्वारा होगी। केरल सरकार की तरफ से के एम आर एल ही इसका क्रियान्वयन और ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

9. स्वतंत्र संपर्क स्मार्ट कार्ड के आधार पर स्वचालित किराया संग्रह व्यवस्था के लिए वित्तीय संस्था का संधि इस वर्ष के दौरान के एम आर एल ने एक्सिस बैंक के साथ 10 जून 2015 को कोच्ची मेट्रो परियोजना के लिए स्वतंत्र संपर्क स्मार्ट कार्ड के आधार पर स्वचालित किराया संग्रह व्यवस्था के लिए एक वित्तीय संस्था के संघ में प्रवेश किया। इसका मुख्य लक्ष्य एक स्वचालित टिकट व्यवस्था का कार्यान्वयन है जिसमें स्वचालित किराया संग्रह व्यवस्था और यूरोपे, मास्टर कार्ड और विसा स्तर के आधार पर संपर्क स्मार्ट कार्ड व्यवस्था शामिल है। इ एम वी कार्ड व्यवस्था सिर्फ मेट्रो व्यवस्था में ही नहीं बल्कि व्यावसायिक गैर किराये बॉक्स के लेन देन केलिए भी उपयोगी है।

संघ के साथ किए गए समझौते के अनुसार के एम आर एल 208.80 करोड रुपए रोयलटी के रूप में 10 साल केलिए दिया गया। जिनकी शुभारंभ अंतिम स्टेशन खोलने के दिन होगा। करार में हस्ताक्षर करते वक्त एक करोड रुपए के एम आर एल को रोयलटी के अग्रिम के रूप में दे दिया। इस राशी को अन्य लम्बी अवधि की देयताओं में जोड़ दिया है।

10. केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी एफ ए)

इस वर्ष के दौरान नये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 4.80 करोड रुपए(परियोजना के अनुमानित लागत 32 करोड रुपए के 15%) केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में अनुमति दी है, भारत सरकार ने देशीय शुद्ध ऊर्जा निधि के अधीन फोटो वोलटेक बिजली संयंत्र के कुल क्षमता 4.0 एम.डब्ल्यू वाले ग्रिड से जुड़े सोलार की स्थापना की।

के एम आर एल को 1.44 करोड रुपए सी एफ ए के प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुआ और उसे अन्य दीर्घकालीन देयताओं में दिखाया। आगे के किश्तों को निकालने के लिए अपेक्षित दावे, परियोजना समाप्ति का रिपोर्ट, उपयोगी प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षित खर्च विवरण आदि को प्रस्तुत करना है। डी एम आर सी ने सोलार पी वी पवर प्लांट के वितरण, स्थापना, परीक्षण और कमीशन का काम मेसर्स हीरो सोलार प्राइवट लिमिटेड को दिया है। यह करार नवीकरणीय ऊर्जा सर्विस कंपनी (आर इएस सी ओ) के नमूने के आधार है जब कि परियोजना की लागत विकासकर्ता और ऊर्जा खरीदी समझौते पीपीए के एम आर एल के हस्ताक्षर के साथ 25 वर्ष के लिए आपसी सहमत तारीफ के लिए होगी। एम एम आर इसे प्राप्त सब्सिडी विकासकर्ता को परियोजना लागत के लेखा परीक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते वक्त संवितरित करेगा।

11. ए एस 15 - कर्मचारी लाभ के संबंध में (संशोधित) प्रकटीकरण

- I) **निधि और पेंशन निधि :-** कंपनी के योग्य कर्मचारियाँ भविष्य निधि के अन्तर्गत आनेवाली कई सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार है जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी के वेतन के एक निर्धारित प्रतिशत मासिक योगदान के रूप में डालते हैं। प्रस्तुत योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में भुगतान किया जाता है।
कंपनी के पेंशन स्कीम को भविष्य निधि के साथ जोड़ा गया है। कंपनी के सभी कर्मचारियाँ जो भविष्य निधि स्कीम के अंतर्गत आ जाते हैं पेंशन स्कीम में भी आ जायेगा सिर्फ वे नहीं आयेंगे जो 1 सितंबर 2014 के बाद नियुक्त प्राप्त हो या मासिक चेतना रु 15000/- से कम हो। उक्त लाभ तभी बढ़ायेगा यदि कर्मचारी के एम आर एल में नियुक्त होते वक्त भविष्य निधि के सदस्य हो।
उपर्युक्त पेंशन स्कीम में कर्मचारियों और नियोक्ता की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई देन इकट्ठा नहीं करते।
- ii) **उपदान :-** उपदान अधिनियम 1972 के अनुसार हर कर्मचारी जो पाँच साल या उससे अधिक की सेवा में है तो उसे उपदान प्रदान की जाती है। कोई भी कर्मचारी उपदान केलिए योग्य अवधि पूरी नहीं कर ली है। फिर भी बीमांकिक जाँच कार्य के अनुसार प्रावधानों को उपदान खाते में किया गया है।
- iii) **अर्जित अवकाश और आधा वेतन छुट्टी :-** मानव संसाधन नीति के अनुसार कंपनी ने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और आधा वेतन छुट्टी का फायदा भी प्रदान करती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस खाते की देयता को मान्यता प्राप्त है।
- iv) **एल टी सी :** कंपनी कर्मचारियों को अनुमोदित पोलिसी के अनुसार अपने गृहनगर या भारत के किसी भी प्रदेश से बैठकों में भागीदारी करने के लिए यात्रा करने की खर्च तो प्रदान करती है। इस खाते की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ही पहचानते हैं।
- v) **बीमा :-** वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी सभी योग्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी और जीवन बीमा पॉलिसी को ले लिया है।
- vi) **लाभ - हानि और तुलन पत्र के ब्यान में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभ का संक्षिप्त स्थिति निम्न है :-**

(अ) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च

राशी (लाखों में)

विवरण	वर्ष	उपादान	अर्जित छुट्टी	आधावेतन छुट्टी	एल टी सी
वर्तमान	2015-16	28.89	66.38	41.82	9.06
सेवा लागत	2014-15	17.19	40.69	23.38	-
राशी	2015-16	4.68	10.89	7.38	5.96
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशी	2014-15	4.21	10.29	5.40	-

आ) तुलन पत्र में राशी को दी गई मान्यता

राशी (लाखों में)

विवरण	वर्ष	उपादान	अर्जित छुट्टी	आधावेतन छुट्टी	एल टी सी
कर्तव्य के वर्तमान मूल्य	2015-16	28.89	66.38	41.82	9.06
	2014-15	17.19	40.69	23.38	-
तुलना पत्र में मान्यता प्राप्त कुल संपत्तियाँ/देयताएँ	2015-16	28.89	66.38	41.82	9.06
	2014-15	17.19	40.69	23.38	-

इ) बीमांकिक मान्यताएँ

विवरण	2015-16	2014-15
निधीकरण व्यवस्था	उडाऊ	उडाऊ
छूट दर		
क) उपदान, अर्जित अवकाश	7.80%	9.10%
आधा वेतन छुट्टी		
ख) छुट्टी यात्रा रियायत	7.35%	-
ए एस 15 आर पैरा 83-91 और 120 के अनुसार वेतन वृद्धि	3%	3%
उद्यम द्वारा तय संघर्ष दर	13.60%	1%
छुट्टी अर्जन और सेवा के दौरान नकदीकरण का अनुपात		
क) उपदान, अर्जित छुट्टी, आधावेतन छुट्टी	10%	10%
ख) छुट्टी यात्रा रियायत	20%	-
विभाजन पर नकदीकरण का अनुपात	80%	10%

12. ए- एस 17 के संबंध में प्रकटीकरण (खंड रिपोर्टिंग)

कंपनी केलिए मुख्य रूप से एक ही व्यापार है वह है कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना को विकसित करना, चालू रखना और बनाये रखना। तदनुसार वित्तीय बयान में प्रदर्शित राशियाँ कंपनी के एक ही व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं।

13. ए-एस 18 के संबंध में प्रकटीकरण (संबंधित पार्टियों के प्रकटीकरण)

(क) प्रबंध कर्मी व्यक्तियाँ :

- i) श्री एलियास जोर्ज (प्रबंध निदेशक)
- ii) श्री. एब्रहाम उम्मन (निदेशक - वित्त)
- iii) श्री प्रवीण गोयल (निदेशक - सिस्टम) 08.09.2015 से
- iv) श्री. वेदमणी तिवारी (निदेशक - सिस्टम) 30.06.2015 तक
- v) श्री.महेष कुमार (निदेशक - परियोजना) 31.12.2015 तक
- vi) श्री. अनिल कुमार.बी (कंपनी सचिव)

(ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन का प्रकटीकरण (प्रबंध कर्मी व्यक्तियाँ)

राशी (लाखों में)

विवरण	श्री एलियास जोर्ज (प्रबंध निदेशक)	श्री एब्रहाम उम्मन (निदेशक वित्त)	श्री प्रवीण गोयल (निदेशक सिस्टम)	श्री वेदमणी तिवारी (निदेशक सिस्टम)	श्री महेषकुमार निदेशक परियोजना	श्री अनिल कुमार.बी (कंपनी सचिव)
वेतन & भत्ता वर्तमान वर्ष	-	26.77	14.81	6.45	18.99	14.30
पूर्व वर्ष	-	24.30	-	25.68	22.22	13.20
भविष्य निधि और अन्य में अंशन वर्तमान वर्ष	-	2.42	1.42	-	1.73	1.31
पूर्व वर्ष	-	2.23	-	-	2.16	1.22
अन्य लाभ वर्तमान वर्ष	6.96	2.87	3.62	4.09	7.18	0.21
पूर्व वर्ष	7.93	2.02	-	9.21	6.09	0.15

- i) प्रबंध निदेशक उनका वेतन सरकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में केरल सरकार से लेते हैं।
- ii) पूर्णकालिक निदेशक को कंपनी पोलिसी के अनुसार कंपनी द्वारा किराये पर लिये गाड़ी का उपयोग वसूली से संबंधित व्यक्तिगत यात्रा के लिए करने की अनुमति देते हैं।
- iii) उपर्युक्त राशी को उपदान में अंशदान, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत आदि में शामिल करने का प्रवधान नहीं है इसे वास्तविक मूल्यांकन के बाद ही निश्चय करता है।

14. ए-एस 19 के संबंध में प्रकटीकरण (पट्टों)

कंपनी ने अपने कर्मचारियों और कार्यालयों के लिए पट्टे पर परिसर लिया है। ये पट्टे की व्यवस्था आम तौर पर आपस में सहमत शर्तों के आधार पर नवीकरणीय है। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने 61.05 लाख (पूर्व वर्ष 53.23 लाख) रुपए कर्मचारी की ओर से पट्टा किराए (वसूली का शुद्ध) का भुगतान किया गया है और कार्यालय की ओर से 99.63 लाख (पूर्व वर्ष 77.32 लाख)

15. ए एस 20 - प्रति शेयर के रूप में आय संबंधी प्रकटीकरण

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष केलिए शुद्ध लाभ/हानि (राशी लाखों में)	(1981.86)	(17.87)
इक्विटी के भारित औसत संख्या इस वर्ष के दौरान बकाया शेयर - बुनियादी - पतला	99,965,027 111,188,027	47,262,696 52,907,696
बुनियादी आय प्रति शेयर (प्रति शेयर रु 100 के हिसाब से अंकित मूल्य)	(1.98)	(0.04)
पतला आय प्रति शेयर (प्रति शेयर रु.100 के हिसाब से अंकित मूल्य)	(1.78)	(0.03)

16. ए .एस 22 आय पर कर की लेखा के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2016 के अनुसार कंपनी को अनवशेषित मूल्यहास और हानि जमा होने से संपत्तियों पर डिफेड कर के रूप में 752.71 लाख आया। 31.3.2016 के आधार पर डिफेड कर देयताएँ 322.74 लाख (पूर्व वर्ष 139.05 लाख) है। अतः वास्तविक यकीन के अभाव में कुल डिफेड कर के रूप में 429.97 लाख (पूर्व वर्ष कुल डिफेड कर देयता 2.06 लाख) आया वास्तविक यकीन के अभाव और विवेक के विषय को लेते हुए डिफेड कर संपत्ति को मौजूदा का विस्तार खाते में 2.06 लाख की देयता के रूप में लेते हैं। अतः जमा में कुल डिफेड कर नहीं है। पूर्व वर्ष में कुल डिफेड कर देयता के रूप में रु.2.06 लाख।

17. ए एस 28 (आस्तियों की क्षति) का प्रकटीकरण

हाल ही में आस्तियों की क्षति के बारे में कोई सूचना नहीं है। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में आस्तियों की क्षति नहीं हुई है।

18. पार्टियों के कुछ नाम/ श्रेय अनुमति और सुलह, यदि कोई अहम प्रभाव विद्यमान है तो अनिश्चित रहता है।

19. 31 मार्च 2016 के मैक्रो, छोटे-मंझले उद्यम के बारे में सूचना ।

31 मार्च 2016 तक मैक्रो, छोटे-मंझले उद्यम केलिए कोई राशी देय नहीं है।

20. पूँजी प्रतिबद्धताएँ आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

(क) आकस्मिक देयताएँ

आकस्मिक देयताएँ	31.3.2016 पर	31.3.2015 पर	राशी (लाखों में)
कंपनी के खिलाफ दावे नहीं			
कर्ज के रूप में स्वीकार			
* कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की ओर	435.12	1029.26	
* केरल सरकार की ओर से के एम आर एल द्वारा ली गई			
प्रारंभिक काम	187.15	187.15	

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

(ख) पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ

राशी (लाखों में)

पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ	31.03.2016	31.03.2015
के एम आर एल की ओर से डी एम आर सी द्वारा लगाया गया स्पष्ट संपत्तियों के करार का अनुमानित लागत (विदेशी मुद्रा करार कुल अग्रिम) प्राप्त नहीं शेष क्रियान्वयन करना है।	1,25,296.43	1,95,372.06
के एम आर एल द्वारा धुसा गया अनुमानित लागत जिसमें परामर्श करार अंतर्गत है प्राप्त नहीं शेष क्रियान्वयन करना है क) स्पष्ट संपत्तियाँ ख) अस्पष्ट संपत्तियाँ	6,886.81 66.63	14,931.78 115.64
कुल राशी	132,249.88	2,10,419.48

ग) आकस्मिक संपत्ति

आकस्मिक संपत्तियाँ जो सार्थक एवं भौतिक हैं नहीं हैं।

पूर्व वर्ष में भी नहीं।

21. पूर्व वर्ष के आंकडे जहाँ पर ज़रूरी महसूस हुआ वहाँ वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण के साथ तुलना करके पुनः संघों से/ पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया है।

हमारे रिपोर्ट के अनुसार यहाँ तक कि

तारीख संलग्न है

के वर्गीस & कंपनी केलिए

शासनपत्रित लेखाकार

FRN004525S

निदेशक मंडल की ओर से और केलिए

साम वर्गीस

सहभागी

MN216979

एलियास जोर्ज

प्रबंध निदेशक

एब्रहाम उम्मान

निदेशक (वित्त)

प्रवीण गोयल

निदेशक (सिस्टम)

बी.अनिल कुमार

कंपनी सचिवव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19.07.2016

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

31.3.2016 तक समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

राशी (लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2016 तक समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष
(क) प्रचालन कार्यों से नकदी प्रवाह		
कुल लाभ/हानि कर से पहले	(1,987.26)	91.54
समझौते केलिए		
संपत्तियों के (कुल)		
बिक्रि पर लाभ/ हानि	1.13	0.26
मूल्यहास और ऋणमुक्ति	144.77	98.12
व्यय		
पूर्व अवधि के समझौते	0.72	(180.35)
ब्याज आय	(350.09)	(519.74)
प्रीपेड खर्च	12.93	-
काम की पूँजी परिवर्तन आने से पहले लाभ	(2,177.80)	(510.17)
काम की संपत्तियों वृद्धि/ कमी में समझौता कर	(88.24)	(60.20)
कर्मचारी लाभ की प्रावधान	21.54	19.91
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल नकद प्रवाह (अ)	(2,244.50)	(430.06)
(ख) जमा गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह		
स्थाई संपत्तियों पर पूँजी व्यय	(3,699.98)	(28,488.51)
जिसके अंतर्गत पूँजी अंग्रिम भी आते हैं		
पूँजी डब्ल्यू आई पी	(92,046.80)	(80,641.49)
अन्य अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	249.77	95.93
सूद प्राप्त	909.23	517.66
दीर्घकालिक ऋण और अंग्रिम	(6,126.06)	(1,629.85)
अल्पकालिक ऋण और अंग्रिम	(1,995.34)	39.75
अन्य चालू देयताएँ	(657.48)	4,275.03
जमा गतिविधियों से प्राप्त	(1,03,366.66)	(1,05,831.48)
कुल नकद प्रवाह (आ)		

ANNUAL REPORT

—2015-2016—

(ग) वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह

केनरा बैंक से दीर्घकालिक ऋण	3,000.00	22,000.00
एजेंसी फ्रांकेस डी विकास (ए एफ डी)	26,464.00	16,179.00
से सहायता माध्यम से पारित		
एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से	10,400.00	36,600.00
दीर्घकालिक ऋण केरल सरकार से उप कर्ज	-	9,700.00
भारत सरकार से उपकर्ज	6,064.00	6,695.00
शेयर आवेदन रूपए प्राप्त	46,868.00	46,225.00
ऋण पर ब्याज	(3,005.03)	(136.66)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त	89,790.97	1,37,262.34
कुल नकद प्रवाह (इ)		
नकद और नकद समकक्ष में	(15,820.19)	31,000.80
कुल लाभ/ हानि		
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समकक्ष	39,134.10	8,133.30
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	23,313.91	39,134.10
बैंक में शामिल नकद	23,313.91	39,134.10
इसके संदर्भ हमारा रिपोर्ट संलग्न		

के.वर्गास & कंपनी केलिए

शासनपत्रित लेखाकार

FRN 004525S

निदेशक मण्डल की ओर से, ओर केलिए

साम वर्गास

एलियास जोर्ज

एब्रहाम उम्मन

प्रवीण गोयल

बी.अनिल कुमार

सहभागी

प्रबंध निदेशक

निदेशक (वित्त)

निदेशक (सिस्टम्स)

कंपनी सचिव

एम.नं - 216979

स्थान : नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19.07.2016 दिनांक : 19.07.2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कोच्ची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों केलिए

वित्तीय बयान पर रिपोर्ट

हम कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय वक्तव्य लेखा परीक्षित किया है, जिनमें 31 मार्च 2016 के बैलेंस शीट, समाप्त हो गए वर्ष के लाभ और हानि के बयान और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश शामिल हैं।

वित्तीय विवरण केलिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के बोर्ड निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) धारा 34(5) में मुकरर मामलों केलिए जिम्मेदार है, वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में, जो वित्तीय स्थिति के एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, कंपनीयों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें। इस जिम्मेदारी में यह भी शामिल है कि कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमिताओं को रोकना और पता लगाना, उचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग, फैसला लेना और जांचना है कि जो उचित और विवेकपूर्ण है, डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जो प्रभावी ढंग से काम करें, वित्तीय बयान की तैयारी और प्रस्तुति के संबद्ध जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री गलत बयान से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

इन वित्तीय बयान पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

हम ने अधिनियम के प्रवधान को ध्यान में रखा है, लेखा और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम के प्रावधान और अधीन बनाए गए नियमों के तहत रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक हैं।

अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार हम ने वित्तीय बयान की लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। उन मानकों की आवश्यकता है कि वित्तीय बयान सामग्री गलत बयान से मुक्त होने के लिए हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा उचित आश्वासन प्राप्त करने केलिए योजना और लेखा परीक्षा किया।

एड्युकेशन के प्रक्रियाओं के प्रदर्शन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने केलिए राशि और वित्तीय बयान में खुलासे शामिल होना है। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, वित्तीय बयान की सामग्री गलत बयान के जोखिम का मूल्यांकन सहित उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक ने परिस्थितियों के अनुसार उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया डिजाइन करने केलिए एक सच्चे और निष्पक्ष विचार दे और जो कंपनी की वित्तीय बयान तैयारी केलिए प्रासंगिक है। एक लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किये लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाई गई लेखांकन अनुमान के औचित्य, उसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विस्वास है कि लेखा परीक्षा केलिए प्राप्त साक्ष्य, वित्तीय बयान पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

राय

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमारे लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय बयान अधिनियम के अनुसार 31 मार्च, 2016 वें में कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त हो गए वर्ष में अपने नकदी प्रवाह और नुकसान, आवश्यक जानकारी आवश्यक रूप में देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनियों द्वारा (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016(आदेश) के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनियों की अधिनियम 2013 धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार हम एनेक्सर ए में पारग्राफ3 और 4 में बताये गए आदेश के निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान जारी कर दिया है।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हम अनुबंध - सी में यह दिया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्दशों पर अनुबंध में कंपनी के पुस्तकों और रिकॉर्ड की इस तरह की जांच के आधार पर, हमें दिए उचित जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने रिपोर्ट तैयार किया है।
3. कंपनियों अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं:
 - अ. हमारे द्वारा ढूँढे गये सभी जानकारी और उम्मीदें प्राप्त हुआ है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - आ. हमारी राय में, हमारी लेखा-परीक्षा से प्रतीत उन पुस्तकों को जो कानूनी रूप से जरूरी खाते की उचित पुस्तकों अब तक कंपनी द्वारा रखी गई है।
 - इ. तुलन पात्र, लाभ और हानि और नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट से निपटा के बयान खाते की पुस्तकों के साथ अनुबंध में है,
 - ई. हमारी राय में, उक्त अकेले खड़े वित्तीय बयान अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के पालन करता है, कंपनियां(खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें।
 - उ. कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसलिए धारा 164(2) के प्रवधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना जी एसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं है।
 - ऊ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता के सन्दर्भ में, हमारे अलग रिपोर्ट अनुलग्नक बी में देखना, पर्याप्तता और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संचालन के प्रभाव पर हमारी रिपोर्ट एक असंशोधित राय व्यक्त करता है, और
 - ऋ. कंपनियों के नियम 11 (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) 2014 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये गए अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमारे लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - क. कंपनी ने अपनी वित्तीय बयान में अपनी वित्तीय स्थिति पर अपूर्ण मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया गया है - वित्तीय वक्तव्यों का हिस्सा बनाने नोटों की 24 उप बिंदु 20 नोट देखें।
 - ख. कंपनी द्वारा लागू कानून या लेखा बयानों के तहत आवश्यक प्रवधान किया गया है कि यदि कोई सामग्री निकट घाटा हो, दीर्घकालिक अनुबंध पर लिए डेरिवेटिव करार सहित हो।
 - ग. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, वहाँ कोई मात्रा में जो स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक थे।

के वर्गीस & कंपनी के लिए

शासनपत्रित लेखाकार

(फर्म पंजीकरण No. 004525S)

सैम वर्गीज

सहभागी

(सदस्यता क्रमांक 216979)

स्थान :

तारीख

अनुबंध - ए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के शीर्षक के अंतर्गत पैरा(1) में निर्दिष्ट कोच्चि मेट्रो रेल समिति के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष खातों पर हमारे रिपोर्ट

1. अपनी अचल संपत्ति के संबंध में:

- अ. मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूरे ब्यौरे दिखा रहे हैं कि कंपनी द्वारा उचित रिकॉर्ड को आम तौर पर बनाए रखते हैं।
- आ. कंपनी के अपनी अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा तय की संपत्ति तीन साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सत्यापित किया जाता है। हमारे विचार से, कंपनी और उसके व्यापार की प्रकृति के आकार को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की अवधि रखना उचित है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान आयोजित सत्यापन पर पुस्तक रिकॉर्ड के साथ तुलना में कोई सामग्री विसंगतियाँ नहीं देखा गया है।
- इ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के रिकॉर्ड पर हमारी जाँच के आधार पर रु. 39012.16 लाख तक भूमि राशि का 25.57 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर कंपनी के नाम पर कोई अचल संपत्ति का शीर्षक कर्मा उपलब्ध नहीं है।
- 2. माल सूची के संबंध में कंपनी के निर्माण गतिविधियों में प्रगति हो रहे हैं। तदनुसार, यह किसी भी भौतिक माल सूची पकड़ नहीं करता है। अतः इस खंड लागू नहीं है।
- 3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत संधृत या असुरक्षित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य रजिस्टर में शामिल किये गये दलों केलिए कंपनी ने किसी भी ऋण प्रदान नहीं किया गया है।
- 4. हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।
- 5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी जमा स्वीकार नहीं किया है।
- 6. भारत की केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी के लागत अभिलेखों का रखरखाव करने को निर्धारित नहीं किया है। इसलिए, खंड लागू नहीं है।
- 7. अ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड पर हमारी जाँच के आधार पर निर्विवाद सांविधिक देय राशि के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती उपार्जित राशि में भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि सम्मिलित है जो आम तौर पर नियमित रूप से उचित अधिकारियों के साथ कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान जमा किया गया है।
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और किसी भी अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि के संबंध में, जो 31 मार्च 2016 में बकाया राशि के रूप में कोई सामग्री निर्विवाद मात्रा में देय इस तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि केलिए वे देय हो गया है।
- आ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री पर, मूल्य वर्धित कर, आयकर सीमा शुल्क, सेवा कर, आदि केलिए वहाँ विवादों के कारण कोई बकाया राशि रही है, जो 31 मार्च 2016 को जमा नहीं किया गया है।

8. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी, से स्पष्ट दस्तावेज और हमारे सामने प्रस्तुत किए रिकार्डों के आधार पर वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी या डिब्बेचर धारकों के लिए देय राशि के लिए कंपनी ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं किया गया है।
9. आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकस (ऋग्म उपकरणों सहित) के माध्यम से कंपनी किसी भी पैसे जुटा नहीं था। अवधि वर्ष के दौरान निकाले गए ऋण जिस उद्देश्य के लिए लिया है उन्हीं के लिए लागू किया गया है।
10. हमें दिये गये सूचना और विवरण के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई सामग्री धोखाधड़ी सूचित या प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
11. कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसलिए धारा 197 के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 अधिसूचना जी एस आर 463(ई) दिनांक 5 जीन, 2015 के अनुसार लागू नहीं है।
12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक विधि कंपनी नहीं है। तदनुसार पैरा 3(xii) के आदेश लागू नहीं है।
13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड पर हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन के अनुसार आवश्यक लागू लेखा के लेनदेन का विवरण वित्तीय बयान में प्रकट किया है।
14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड पर हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुपालन की आवश्यकता के दौरान कंपनी ने जो वर्ष शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिब्बेचर के किसी भी तरह की आवंटन या प्राइवट प्लेसमेंट नहीं किया है।
15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड पर हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ गैर नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, पैरा 3 आदेश (XV) लागू नहीं है।
16. कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधि नियम 1934 की धारा 45 - आई ए के तहत पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है।

के वर्गीस & कंपनी केलिए
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण No.004525S)

सैम वर्गीज
सहभागी
(सदस्यता क्रमांक 216979)

स्थान
तारीख

अनुबंध - बी स्वतंत्र लेखा परीक्षक के लिए रिपोर्ट

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के शीर्षक के अंतर्गत पैरा (1) में निर्दिष्ट कोच्ची मेट्रो रेल समिति के सदस्यों केलिए 31 मार्च 2016 रो समाप्त वर्ष खातों पर हमारे रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 उपधारा के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हम कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण के आंतरिक लेखा परीक्षित संयोजन के रूप में कंपनी के वित्तीय बयान की हमारी लेखा परीक्षा के साथ उस तारीख को समाप्त हो गए वर्ष 31 मार्च, 2016 में किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीए आई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार दे कर कंपनी द्वारा स्थापित किये गए वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी के प्रबंधन को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और रखरखाव, जो अपने व्यापार के अर्दली और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इस में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना। कंपनियों की धारा 143(10) अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और लेखा परीक्षण पर मानकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी (मार्गदर्शन नोट) के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा का आयोजन किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का एक लेखा परीक्षा हद तक लागू किया। हम ने नैतिक आवश्यकताओं को अनुपालन और उचित आस्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाया और क्रियान्वित किया हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा था, और अगर इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित है।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, प्रदर्शन प्रक्रियायें आदि शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हम लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करने में जोखिम आकलन, जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का मूल्यांकन का परीक्षण और मूल्यांकन करते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर है, वित्तीय बयान की सामग्री गलत बयान के जोखिम का आकलन सहित धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है।

हमें विश्वास हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा द्वारा एक आधार प्रदान करने के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य हम ने जो प्राप्त की है, पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एडु कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रक्रिया है और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों केलिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं।

1. उचित विस्तार में सही और काफी लेनदेन और स्वभाव को प्रतिबिंबित कंपनी की संपत्ति से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव
2. लेनदेन जरूरत के लिए दर्ज की जाती है कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति के लिए केवल प्रबंधन के प्राधिकरण और कंपनी के निदेशक के अनुसार कंपनी के आय और व्यय किया जा रहा है।
3. कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या विन्यास के रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाएँ

मिलीभगत या नियंत्रण के विरुद्ध अनुचित प्रबंधन के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की झूठी बयान से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निहित सीमाओं या नहीं पाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य अवधि केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों के अधीन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होगी क्योंकि स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ता है।

राय

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया आंतरिक नियंत्रण के आवश्य घटकों पर विचार दे कर कंपनी द्वारा स्थापित किये गए वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय 31 मार्च 2016 समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी में सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

के वर्गास & कंपनी केलिए

शासनपत्रित लेखाकार

(फर्म पंजीकरण No. FRN 004525S)

सेम वर्गास

सहभागी

(सदस्यता क्रमांक 216979)

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 19.07.2016

अनुबंध सी स्वतंत्र लेखा परीक्षक के लिए रिपोर्ट

पैरा 2 में निर्दिष्ट अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर हमारी रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक एवं महालेख निर्दशों के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर ऑडिट रिपोर्ट।

क्र सं	सी ए जी निर्देश	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	कंपनी को प्रीहोल्ड और पट्टाधृत भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट शीर्ष /लीज डीड है क्या ? यदि नहीं, तो बताएं कि जिस क्षेत्र के प्रीहोल्ड और पट्टाधृत भूमि का शीर्षक के लिए /लीज के लेखा उपलब्ध नहीं हैं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास 30.65 हेक्टेयर भूमि है। स्वत्व विलेख सत्यापन केलिए उपलब्ध 5.08 हेक्टेयर की सीमा तक भूमि के मूल्य की राशि रु.14833.19 लाख है। बाकी 25.57 हेक्टेयर भूमि की राशी रु.39012.16 लाख सत्यापन केलिए उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन द्वारा किये गए सूचना के अनुसार, प्रलेखन प्रगति में है और वही केरल राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
2.	क्या वहाँ किसी भी मामले पर अधित्याग/ऋण काट/कर्जा/ब्याज आदि कर रहे हैं तो कृपया रिपोर्ट कीजिये। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राशी शामिल किया गया।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वहाँ के कोई मामलों पर अधित्याग/ऋण काट/कर्ज ब्याज आदि नहीं रहे हैं।
3.	तीसरे पक्षों के साथ पड़े हुए माल सूची और सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त किये संपत्ति के लिए उचित रिकॉर्ड रखा जाता है क्या ?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वहाँ कोई तीसरे पक्षों के साथ पड़े हुए माल सूची नहीं है। सरकार या अन्य एजेंसियों परिसंपत्तियों के रूप में या कोई उपहार प्राप्त नहीं किया गया है।

के वर्गीस & कंपनी केलिए
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण No. FRN 004525S)

सैम वर्गीस
सहभागी
(सदस्यता क्रमांक 216979)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.07.2016



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department

*Office of the Principal Director of Commercial Audit
and ex-officio Member Audit Board, Chennai*

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के 31 मार्च

2016 में समाप्त वर्ष की लेखा पर भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

वर्ष 31 मार्च 2016 तक समाप्त कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के वित्तीय विवरण की तैयारी करना कंपनी अधिनियम

2013 के अधीन आनेवाले ढाँचे को ध्यान में रखते हुए कंपनी के प्रबंधकों का कर्तव्य है। कंपनी अधिनियम की धारा

139(5) के अनुसार भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक को कंपनी

अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने की जिम्मेदारी है जो अधिनियम

143(10) की धारा के अधीन लेखा के स्तर के आधार पर तैयार किए गए स्वतंत्र लेखा पर आधारित है। उन्हें अपना

विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 19 जुलाई 2016 तक देना है।

मैं ने भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार के वास्ते कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) ए के अनुसार 31

मार्च 2016 तक समाप्त कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के वित्तीय विवरण का एक अतिरिक्त लेखा तैयार किया है। यह

अतिरिक्त लेखा सांविधिक परीक्षकों के कागजों को लिये बिना सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी अधिकारियों से

प्रारंभिक पूछताछ और रिकोर्ड से सिर्फ कुछ चुने हुए लेखा का परीक्षण करके स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया है।

मेरी लेखा के मुताबिक मेरी जानकारी में सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी देनेलायक कोई विशेष

बात नहीं दिखाई पड़ी।

नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार

भारत सरकार के वास्ते, के लिए

(जी. सूधरमिणी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षक

तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, चेन्नै

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 16.09.2016